introduce a Bill to provide for the formulation of special development plans and establishment of an autonomous Authority to implement such plans in respect of the drought prone areas of the country particularly States of Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Orissa, Rajasthan and Gujarat and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

THE COMPULSORY LINKING OF VILLAGES WITH POSTAL TELEGRAPHIC SERVICES BILL, 1993

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provid for the compulsory linking of all the villages in the country with postal and telephone services within a time frame and for matters connnected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

THE COMPULSORY ADDITION OF FRUIT JUICES IN AERATED WATERS BILL, 1993

SHRI MAHESHWAR SINGH (Himachal Pradesh): Sir, I beg to move for leave to Introduce a Bill to provide for the compulsory addition of minimum prescribed quntity of fruit juices in all kinds of aerated waters by their manufacturers, produced for sale or distribution and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI MAHESHWAR SINGH: Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT BILL, 1991—Contd.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, thank you for giving me this opportunitity. The object of my bringing this Bill is to draw the attention of the Government to the problems of Dalit Christrians who have been living all over the country. Sir, their living condition have not improved. Their educational status has not improved. Their employment position has not improved and their economic condition also has not improved.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Why did they go?

SHRI V. NARAYANASAMY: I will answer this question. In spite of that we call this country a 'secular country'. We respect all religions. To whichever religion a person belongs, to whichever community a person belongs, his caste goes with the religion. A person who belongs to any community, whether he belongs to the Vanniyar community, whether he belongs to the Scheduled Caste community, whether he belongs to the Mudaliar community, if he gets converted to Christianity —Hanumanthppaji comes from rural areas and he must be knowing it—when he goes even to villages, he is called, for example, David Mudaliar. The caste goes with his name even though he has converted his religion to Christianity. We call this country a secular country. There cannot be any discrimination while giving beefits and rights to the people belonging to that caste in the name of religion. I would like to submit that equal opportunity, equal justice and equal status are being denied to these people. In para 3 of the Constitution Scheduled Caste Order, 1950 they brought in the religion criterion which the Constitution of India never intended. It has destroyed the excelent edifice of secularism that was so embedded in our national mainstream. If we go into the historical background, neither the Constituent Assembly nor the Constitution Drafting Committee had given the power for bringing religion into it.

Neither did it say that a person belonging to a particular caste will be denied the benefits given to that caste if he converts his religion. But unfortunately, that provision has been brought through back-door and it has been accepted. This is not only destroying secularism but it is also alienating people belonging to a particular caste in the name of religion. The people of this country have understood this. I would like to quote Dr. Ambedkar. It is relevant for the purpose of bringing this to the notice of this august House:

"Has Christianity been able to save the convert from the suffering and the ignominy which is the misfortune of everyone who was born as an untouchable? Can an untouchable after his conversion to Christianity take water from a public well? Will his children be admitted to a public school? Can he enter a hotel or a temple which was not open to him? Can he enter a shop and buy things from inside? Will a barber shave him? Will a washerman wash his clothes? Can he travel in the same bus? Will he be admitted into the quarters of the villagers and into the public offices without any conditions? Will he be allowed into the kitchens? Will not a Hindu take bath if he is touched by him? I am sure the answer to all these questions must be in the negative. In other words, the conversion has not brought about any change in the social status of the converted untouchable." To a Hindu, an untouchable remains an untouchable even though he becomes a Christian. We are celebrating the Birth Centenary of Dr. Ambedkar, who was a champion of the backward, the downtrodden and the Details. We are going all over the country proclaiming that we follow the principles of Dr. Ambedkar and that we are trying to implement them. If that is the claim, the Government should expedite it in practice and see to it that the anomalies that continue to exist between the Dalits and the people who have converted their religions are removed. Not only that. Take the case of atrocities committed on the Dalits in the villages. The Dalit Christians live in the same villages and they suffer together. They celebrate the Hindu festivals togther and they also celeberate the Christian festivals together. There is no discrimination. An impression has been created that when they have converted to Christianity, they have been given all the benefits. I would like to submit that even though there are 70 per cent Dalit Christians in the entire Christian community of this country, they are struggling for their survival. The upper caste Christians are not allowing them to live. It is a fact. I know it. This is happening in my State. They are not allowing them... (*Interruptions*)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Mr. Alva doesn't seem to be agreeing with you.

SHRI V. NARAYANASAMY: She may not agree. But what I am saying is the reality. Why I am saying is, the upper-class people are not allowing the Dalit Christians to come to the churches. It is a fact. Nobody can deny it. Therefore, Mr. Hanumanthappa has to agree with me. So, the Dalits are being suppressed in the Christian community as well. ...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Since my name has been mentioned, just to go on record, I would like to say that Christainity does not distinguish people inside the churches. Socially, they may have problems.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I didn't mention your name anywhere. I just wanted to convince Mr. Hanumanthappa who raised his voice in disagreement. Actually, in the villages, whenever an atrocity is committed on the Dalits, the equal sufferers are the Dalit Christians also. Their houses are being burnt; their family members are getting attacked by the high-caste people who live in the neighbouring villages. It is a hard fact. And these people suffer aolng with their brothers and sisters belonging to other

religions. Therefore, it is not that these people, who have joined this religion, are getting any extra benefits. I would also like to quote, for the information of the hon. Minister and the House, the message of our most noted and pious leader Mother Teresa. When she was given the Rajiv Sadhbavna Award, she could not attend the function because of her illness and, at that time, the message that she had sent was read out by our hon. Prime Minister. In that message, she has asked the nation not to discriminate people on the basis of religion, as is now being done against the Scheduled-Caste Christians. These are the words of Mother Teresa and the same message was read out by our hon. Prime Minister. I think, now the hon. Minister will agree with me that injustice is being meted out to the Dalit Christians as well. Also, about 50 lakhs of Dalit Christians have written letters to the hon. Prime Minister and to the hon. Minister for Social Welfare highlighting their problems and saying that they have been suffering right from the day the Constitution was brought into force... (*Interruptions*). They had been suffering earlier also. But they were able to claim their rights only then. Now, irrespective of whatever Government was in power, whether it was the Janata Dal Government or the Congress Government, every Government has tried to solve their problems by bringing forth many legislations. But there are many bottlenecks at the implementation stage itself. The Members of Parliament and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Forum have also unanimously recommended that this discrimination that has been there for the last so many years should be removed. As I mentioned last time, when the hon. Minister, Shri Sitaram Kesri, went to Visakhapatnam, in the presence of around three lakhs of people, who were mostly Dalits, he gave an assurance... ...(*Interruptions*).

AN HON. MEMBER: There were only one-and-a-half to two lakhs of, people.

SHRI V. NARAYANASAMY: Anyway, number is not a criterion. It is the Minister's assurance which is important. The Minister has assured them that since their problems were genuine and they should also be given equal benefits, the Government would look into their grievances and it would bring a Bill to that effect. As I mentioned on the last occasion also, a very categorical assurance was given by the then Minister of Social Welfare, Shri Ram Vilas Paswan, that the Bill for the same would be introduced. Ours is a continuing Government and it has to fulfill the assurances given by the earlier Governments. Several assurances which were given earlier have also been flouted. There seems to be a thinking going on that the Dalit Christians should also be given the same benefits which the backward classes are enjoying I would like to submit that this will be another discrimination against this community because the benefit that you are going to give to the Dalit Christians is not affecting the rights of the Christian minority. This is number one. It is not affecting the benefit that is being given to the Scheduled Caste people. This is the number one. It is not affecting the rights you are going to give to the Backward Classes. This is number three. So, the people, who are born in the Scheduled Castes, who born as Dalits and who converted themselves to Christianity, they in spite of their conversion, should be given this benefit. If you are not going to give, you should give the reason why you are not giving You have given to the Neo-Buddhists, you have given to the Dallt Sikhs. Then, why not for these people? These people are in large numbers. There are about one crore people who are entitled to this benefit. When you are giving it to one section of the people, why do you neglect these people who are of the same community? Why is there this discrimination against these people? They are not going to snatch away the rights of other people. They only want their rights to be protected.

Sir, there are several recommendations made by various commissions which were appointed by the Central Government and the State Governments. Right

from Dr. Ambedkar, Babu Jagjivan Ram, Mahatama Gandhi—all these people expressed the desire that these people should be given this benefit. I would like to submit that nobody will convert himself to another religion unless and until he has faith in that religon. Unless and until he has faith in that religion, he will not go to another religion ...(*Interruptions*)...

Mr. Vice-Chairman, Sir, I don't want a running commentary. There are so many commissions—the Kaka Kalelkar Commission, the Mandal Commission, the Kumara Pillai Commission, the Ilaya Perumal Commission. So many commissions are there. Apart from these, there are several reports. Report of the Backward Classes Commission of Andhra Pradesh, the Damodaran Commission Report, the Santhanam Committee Report, the Panampilli Govinda Menon Committee Report, the Chidambaram Committee Report. All these reports have unanimously opined that the rights of these people were being infringed. So many other reports have also come. I would like to submit all this to the hon. Minister; I would like to quote the recent judgement of the Supreme Court on the Backward Classes issue, the Mandal Commission Report, which the Government of India is going to implement now. I would like to quote the relevant portion of the judgement in which out of nine judges, eight judges supported the view. It said:

"Change of religion does not change the past and the Scheduled Castes converted to Christianity, suffer from the same disability at par with Scheduled Castes in other religions."

This categorical observation was made by the Supreme Court in its recent judgement in the Mandal Commission case.

I further quote:

"To deny Scheduled Castes the constitutional protection of reservation solely for reasons of change of faith or religion is to endanger the very concept of secularism and the raison d'etre of reservation."

This is the recent judgement of the Supreme Court which also says that there is discrimination and this community has been just ignored and they have not been given this benefit and their rights have to be safeguarded.

Another Division Bench of the Supre-Court also said and I quote:

"The division of society even among other religious groups in the country between high and low castes is only to be expected. Almost all the followers of non-Hindu religion except those of Zorastrianism are converts from Hindu religion and in the new religions they carry with them their past as such."

It is, therefore, very important that to whichever religion they may convert, they carry their caste with them. Caste does not vanish when they convert to another religion. This I would like to stress upon and inform the hon. Minister. Therefore, it is unnatural to expect that the social prejudice, bias, notions, feelings of superiority and inferiority nutured for centuries, would disappear by a mere change of religion. Whatever may be the religion to which they convert, their social conditions remain, their complexion remainst, their environment remains and their status also remains. They cannot change their status in spite of going to another religion because they are living in the same environment along with their other brothers and sisters. Thererfore, I would like to submit that the statutory benefit that has been given by the Government to the neo-Buddhists and also to the other groups like the Dalit Sikhs has to be extended to the Christian community people who are also entitled to this benefit which has been denied by the Government for a long time.

Sir, an impression is going round that the churches are opposing the benefits that have been given to the Dalits. I would like to submit in this august House that a unanimous resolution was passed by the Union of Churches of India in the year 1988 in which they have categorically stated that the Dalit Christians have been denied their rights

by the Government and that they wholeheartedly support the demand that this community has to be given these benefits which have been denied to them for a long time. Therefore, the impression that has been created that the churches are opposing this is totally untrue and it is incorrect. They are solely with these people because in the convention that was held, it was declared that the churches were also supporting the demand that was raised by the Dalit Christians in this country.

Moreover, under article 341 of the Constitution it has been said:

> "The President of India may, with respect to any State or Union territory, and where it is a State after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall, for the purposes of this Constitution, be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State or Union territory, as the case may be."

There, the President has to fulfil this requirement in relation to the Constitution (Scheduled Castes) Order. Article 34(2) also empowers the Parliament to include or exclude from the list of Scheduled Castes specified by the President of India. So, Parliament's powers in this regard are supreme and they cannot be watered down. The Constitution-makers also, having foreseen that changes might be required in this, have made this particular provision and have entrusted this responsibility to Parliament. Therefore, the Parliament is supreme. Therefore, when the Parliament finds that these people are entitled to these benefits, when the Parliament finds that these people's rights have been infringed and these rights have been taken away to which they are entitled, Parliament is empowered to give those rights to them. As I have mentioned about their employment background, they remain along with the other social background, about Dalits in this country and they are entitled to the benefits which are given to others.

Sir, there is another argument which has been raised and it is that these people are taking away the rights of the minority community and, therefore, they are not entitled to these benefits. Sir, with all respect, I would like to submit to the honourable Minister that the minority rights that have been given to the Christian community are given to the organizations and they are not given to individuals. The honourable Minister has to consider this distinction. They are given to the community as a whole and not to individuals. Therefore, the minority right that has been given has not been given for the benefit of any single individual who belong to the group of Dalit Christians. So, they are entitled to these benefits. There is overwhelming support for this. These people have been fighting for this for more than forty-five years in this forum and in various other forums and various assurances also have been given.

Sir, the honourable Minister who is here now is a very dynamic person and he knows the problem. He knows that in the South this discrimiantion has been continuing for a long time. Even in Kerala, in Tamil Nadu, in Andhra Pradesh and in Karnataka, even in my own place of Pondicherry, the Dalit Christians are living along with the other Dalits in the same way and, so, if these benefits are extended to them, they will be able to educate their children, get employment for them in the Government offices, their economic conditions will improve and their social condition will improve.

Therefore, Sir, I would request the honourable Minister to consider these points and accept the Bill moved by me. I hope he will also say that the Government is going to accept this proposal.

I also request this honourable House to support and pass this Bill unanimously.

With these words, Sir, I conclude.

The question was proposed.

श्री संघप्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री नारायणसामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक बहुत ही नाजुक है और इस पर बड़ी सावधानी से चर्चा करने की आवश्यकता है। मालूम तो

ऐसा पड़ता है कि अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे और राष्ट्र का कोई गलत समाचार न चला जाए, इसलिए पहले इसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है।

अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं, जिनको नारायण सामी जी चाहते हैं कि जो इसाई धर्म में चले गए हैं अनुसूचित जाति, जनजातियों से, उनको भी वही सुविधाएं मिलें जो धर्मान्तरण से पहले मिलती थीं। अनुसूचित जाति, जनजातियों को सुविधाएं मिलती हैं कि उनको निःशुल्क शिक्षा मिलती है, उनको पढ़ने के समय छात्रवृत्ति मिलती है, उनको नौकरियों में आरक्षण मिलता है और जितने भी निर्वाचित सदन या निकाय हैं, उनमें उनको आरक्षण मिलता है, आर्थिक क्षेत्र में भी आरक्षण मिलता है। लेकिन ये सुविधाएं इन्हें क्यों मिलीं? ये इसलिए मिलीं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं, आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं और वे आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कमजोर, हीन, दलित इसलिए नहीं है कि वे स्वयं हैं बल्कि इसलिए हैं कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने उनको ऐसा बनाया है। इस देश की सामाजिक व्यवस्था क्या रही है? यह देश हिन्दू दर्शन के अनुयायियों का या उसी दर्शन को स्वीकार किए हुए लोगों द्वारा शासित देश रहा है। हिन्दू दर्शन या हिन्दू धर्म या हिन्दू रिलीजन वैसे मैं धर्म और रिलीजन को अलग मानता हूं और मेरे पास इसके प्रमाण हैं, तो यह सैद्धान्तिक दृष्टि से केवल ऐसा समाज है जो जाति-पांति को मानता है, छुआछूत को मानता है और यह जो सामाजिक कमजोरी, आर्थिक विपन्नता और शैक्षणिक पिछड़ापन है, यह जाति के कारण है और छुआछूत के कारण है। इसके केवल दो यही कारण हैं। इसकी पृष्ठभूमि के दो ही कारण हैं— जाति और छुआछूत। मैं नारायणसामी जी का ध्यान चाहूंगा उनके विचारों की तरफ जो उन्होंने प्रस्तुत किए, उसके दो पहलू हैं। एक है सैद्धान्तिक पहलू जिसे हम फिलॉस्फिकल ऑस्पेक्ट कहते हैं और दूसरा है व्यावहारिक पहलू। सैद्धान्तिक दृष्टि से केवल हिन्दू समाज ऐसा है जो जाति-पांति को और छुआछूत को मानता है, बरखिलाफ इसके इसाई रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन, यह सैद्धान्तिक दृष्टि से न जाति को मानते हैं, न छुआछूत को मानते हैं। तो सैद्धान्तिक दृष्टि से जिस रिलीजन में न जाति है, न छुआछूत है, वहां पर आर्थिक विपन्नता सामाजिक कमजोरी और शैक्षणिक पिछड़ेपन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए इन धर्मों के नाम पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए सुविधाएं मांगने की बात करना सैद्धान्तिक दृष्टि से उन रिलीजन्स की मान्यता के विरुद्ध है क्योंकि वे जाति और छुआछूत को नहीं मानते। इसलिए आपने जो विचार प्रस्तुत किया है, वह इसाई रिलीजन के सिद्धान्त के विपरीत है। यदि इसाई रिलीजन जाति को मानता है और छुआछूत को मानता है तो आपकी बात में सार हो सकता है, लेकिन जब वह रिकग्नाइज ही नहीं करता जाति और छुआछूत को तो फिर अनुसूचित जाति, जनजाति के आधार पर सुविधाओं की बात करना, यह सिद्धान्तों के विपरीत बात है। व्यावहारिक पहलू तो आपका सही है, लेकिन व्यावहारिक पहलू से चाहे शैडयूल्ड कास्ट का आदमी बौद्ध बन जाए, चाहे वह इसाई बन जाए, चाहे वह सिख बन जाए... (**व्यवधान**)..

If they have some other business other than the Private Member's Bill, then they can have it discussed in the outer lobby.

तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि यह तो बीमारी हिन्दू धर्म की थी, इसको इसाईयों ने भी अपना लिया, इसको सिखों ने भी अपना लिया, इसको मुसलमानों ने भी अपना लिया। जहां पर अभी हमारे यह नारायणसामी साहब

बात कर रहे थे, मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि चर्च भी दो तरह के हैं। जो सवर्णों से इसाई हो गए उनके चर्च अलग हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति से इसाई हो गए उनके चर्च अलग हैं। जो सवर्णों से सिख हुए वह भी दूसरे सिख कहलाते हैं और जो अनुसूचित जाति से सिख हुए, वह मजहबी सिख कहलाते हैं। ऐसे ही मुसलमानों में शेख, सैय्यद, मुगल, पठान, सवर्ण जातियों से बने और जो नीचे से हैं, वह सब अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति से हुए। तो यह इन धर्मों के सिद्धांत की बात नहीं है। यह रिलीजन जाति को और नाबराबरी को नहीं मानते, लेकिन यह हिन्दू रिलीजन की बीमारी इन्होंने भी मोल ले ली और इसलिए बजाय इसके कि—बल न रखाए आपन, चोर को गली दे।" बजाय इसके कि यह इसाई धर्म को सुधार लें और मुसलमान मुसलमान धर्म को सुधारें और सिख सिख धर्म को सुधारें कि—तुम अपने रिलीजन के विपरीत आचरण मत करो यह सुविधाएं मांग रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं उनके लिए। यह इनको बताना चाहिए कि आप तो कलंक हैं इसाई धर्म के नाम पर। इसाईयत में जात और छुआछूत की कोई मान्यता नहीं है। एक तो इसलिए इनकी बात में सार नहीं है। दूसरे, मान्यवर, मुझको गलत न समझा जाए। आज आप मांग कर रहे हैं। कि धर्मान्तरण के कारण जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग इसाई हुए हैं उनको वही सुविधाएं दी जाएं जो उनको धर्मान्तरण से पहले थी। यह धर्मान्तरण आज से नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों से धर्मान्तरण हो रहा है। बाबा साहेब डा० आम्बेडकर को आपने उद्धृत किया है। जब बाबा साहेब डा० आम्बेडकर जिंदा थे तब भी धर्मान्तरण हो रहा था और स्वयं उन्होंने भी धर्मान्तरण किया। वह अपने जीवनकाल में बुद्धिष्ठ हो गए। उनसे पहले बहुत धर्मान्तरण हुआ और संविधान सभा में इसकी बड़े पैमाने पर व्यापक चर्चा हुई। जो तथ्य आज विद्यमान हैं वह तथ्य उस समय भी विद्यमान थे, तो फिर इस पर क्यों चर्चा नहीं की गई कि जो लोग अनुसूचित जाति और जनजाति से मुस्लिम या इसाई हो गए हैं, इस सूची में उनको भी शामिल कर लिया जाए? जो हमारे संविधान निर्माता थे, क्या उनके सामने यह तथ्य नहीं था? था, उनके सामने यह तथ्य था। लेकिन इनके सामने एक पृष्ठभूमि भी थी।

मैं नारायणसामी जी का ध्यान चाहूंगा। इस देश में सौ-डेढ़ सौ वर्ष इसाईयों का राज रहा और वह यहां की सामाजिक व्यवस्था से भली-भांति परिचित थे और वह जानते थे कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं, आर्थिक दृष्टि से विपन्न हैं, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं। लेकिन उन्होंने भी इस बीमारी के लिए आवाज नहीं उठाई। इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी, इसाईयों ने उसे स्वीकार कर लिया और सच्चाई के नजरअंदाज कर दिया। वे इस देश पर राज करते रहे तथा उस समय इस पर उनका ध्यान नहीं गया। डा० अम्बेडकर भी परिचित थे और हम भी परिचित हैं कि उन्होंने कम्प्रोमाइज कर लिया उस हिन्दू व्यवस्था से जो असमानता के ऊपर आधारित थी और उन्होंने इस व्यवस्था को छुआ नहीं। लिहाजा यह लोग ऐसे ही रह गए। अगर उन्होंने इस व्यवस्था पर चोट की होती और जाति और छुवाछात को समाप्त किया होता और यह सुविधाएं उनके लिए दी होती, तो आज धर्मान्तरण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, और आज इन मांगों का भी प्रश्न पैदा नहीं होता। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। करीब सात सौ साल इस देश में मुसलमानों का भी राज रहा। उन्होंने भी असमानता पर आधारित इस हिन्दू व्यवस्था से कम्प्रोमाइज कर लिया, यानी ऊंच-नीच, जात-पांत और छुवाछात की व्यवस्था से। आज धर्मान्तरण के नाम पर यह आवाज भी आई कि जो मुस्लिम हो गए हैं, यह सुविधाएं उनको भी मिले। परन्तु उन्होंने भी इस पर चोट नहीं की। अगर उन्होने इस पर चोट की होती, इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया

होता, तो यह आज आवश्यकता ही नहीं पड़ती इस आरक्षण की और सुविधाएं मांगने की और इस मांग की जो नारायण स्वामी जी उठा रहे हैं। तो मैं बड़े विनम्र शब्दों में एक बात तो यह कहना चाहूंगा कि क्रिश्चियनों ने असमानता के ऊपर आधारित जो व्यवस्था हमारे देश में थी, उसके साथ कम्प्रोमाइज किया है और इस मर्म को उन्होंने जानते हुए भी हल करने की कोशिश नहीं की।

अब मैं व्यवहारिक पहलू आपके सामने पेश करना चाहता हूं। शैड्यूल्ड कॉस्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के लोग आज बहुत गरीब हैं। उनके अपने इंस्टीट्यूशन न के बराबर हैं। केरल में अनेकों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसाईयों के हैं। क्या उनमें आरक्षण शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है? बनारस हिन्दी युनिवर्सिटी में आरक्षण है। अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। जो तथाकथित अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए वह जो अन्य रिलीजनों में चले गए हैं आज वह उनके लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन अपने द्वारा संचालित संस्थाओं में आरक्षण नहीं दे रहे हैं। पहले वह अपने गिरहबान में झाककर तो देखें।

What is your conduct? What is your sympathy and behaviour towards the downtrodden?

हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी लेकिन यह पूरी नहीं हुई।

have been an old boy of Aligarh University.

मैंने वहां के वाइस चांसलर से भी कहा लेकिन उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। पहले आप वहां देखिए, वहां आरक्षण नहीं है। मैं आरक्षण विपरीत नहीं है। गरीबी, विपन्नता जो है यह भी पिछड़ेपन का कारण है। हमारी पार्टी ने अपनी आरक्षण नीति में इस को खास तौर से कहा है और सभी दलों ने स्वीकार किया है, सरकार ने भी स्वीकार किया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आरक्षण सुविधाएं जारी रखी जाएं। पिछड़ी जातियों को मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण मिले और 19 प्रतिशत आरक्षण उन लोगों को भी मिले जो गरीब है। उन लोगों में वे सब हैं। इसमें ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं। उसमें सिख भी शामिल हैं, उसमें हिन्दू भी शामिल है। सवर्ण भी शामिल है कंवर्ट भी शामिल है नान-कंवर्ट भी शामिल है। हम लोगों की भी उसमें सहमति है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम विशाल हृदय के लोग हो जाएं और फिर स्वीकार करें कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए तो आप इस पर पहले जो प्रतिबंध लगा चुके हैं उसे हटाइये। संविधान में यह कहा गया है कि शैड्युल्ड कास्ट और शैड्युल्ड ट्राइब्स का आरक्षण उनकी आबादी के अनुसार होगा, पंचायत से लेकर संसद तक। लेकिन आंकड़े आपके क्या हैं? साढ़े 22 प्रतिशत मानी 15 प्रतिशत और साढ़े 7 प्रतिशत आरक्षण उसी दिन से संविधान में है जब से संविधान लागू हुआ। 1981 की जनगणना के अनुसार लगभग 25 प्रतिशत आबादी इन दोनों वर्गों की है। आप यह तो संविधान में ले आए कि जितनी प्रतिशत आबादी है उतने ही प्रतिशत आरक्षण किया जाए। फिर साढ़े 22 प्रतिशत यह क्यों चला आ रहा है? कांग्रेस के नेताओं ने आज तक यह नहीं कहा कि 25 प्रतिशत किया जाए। एसेंबली और पार्लियामेंट में और जितने निर्वाचित सदन हैं उनमें नौकरियों में उनको आबादी के अनुसार आरक्षण मिले इसके लिए किसी ने आवाज उठाई? मैं सैद्धान्तिक रूप से आपसे यह बात कहना चाहता हूं और फिर उसमें आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े शामिल करते तो व्यावहारिक दृष्टि से जो कुछ भी कानून में है वह उनको मिले नहीं तो आप उनके साथ न्याय नहीं, अन्याय करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह बहुत नाजुक मामला है।

इसलिए मान्यवर, मैंने कहा कि हमें पहले अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। अगर हम उनको शामिल भी करें तो उनकी जो जनगणना है उसके आधार पर उनका आरक्षण करेंगे और उसे इंप्लीमेंट करेंगे न जिस दिन आप इंप्लीमेंट करेंगे उस दिन उनका कल्याण हो जाएगा। मैं इस

सिलसिले में स्वामी अछूतानंद थे उनकी कोटेशन है उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उनसे प्रश्न किया था मदन मोहन मालवीय जी ने कि अछूतों की कितनी आबादी है तो स्वामी अछूतानंद ने कहा–

'Every fourth person moving on the street is a Scheduled Caste'

हर चौथा आदमी शैड्यूल्ड कास्ट है। जनगणना के आधार पर हम देखते हैं कि आबादी भी जितनी बढ़ रही है वह इन्हीं वर्गों की ज्यादा बढ़ रही है और उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है। आप उनको 15 परसेंट ही गिनते चले जा रहे हैं।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 1981 की जनगणना के आधार पर 23 प्रतिशत कुछ जगहों पर 25 प्रतिशत और कुछ जगहों पर 21 प्रतिशत, यानि लगभग 25 प्रतिशत है, लेकिन पदों का आरक्षण है कहीं पर 18 प्रतिशत, कहीं पर 10 प्रतिशत और कहीं पर 24 प्रतिशत। किसी ने आवाज़ उठाई है? कोई कांग्रेस के नेता उसके लिए संविधान संशोधन लाए कि 18 से 25 प्रतिशत होना चाहिए। पहले ही आप उनके साथ अन्याय कर रहे है और फिर एक और अन्याय आपने कर दिया। एक प्रदेश में जो रिकोग-नाइड शेड्यूल्ड कास्ट है अगर वह दूसरे प्रदेश में माइग्रेट कर जाता है तो वहां वह अनुसूचित जाति का नहीं रहेगा अनुसूचित जाति का आदमी जब दूसरे रिलीजन में चला जाएगा तो उसकी विपन्नता समाप्त नहीं होती। मेरी समझ में नहीं आता कि एक सूबे का अनुसूचित जाति का आदमी जब दूसरे सूबे में चला जाएगा तो क्या उसकी कास्ट खत्म हो जाएगी? क्या वह शेड्यूल्ड कास्ट नही रहेगा यह कौन सी मानसिकता है? उसकी सुविधा को हम और कम कर दें क्या यह हमारा लौजिक है? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। कभी आप इस बारे में संशोधन लाये? कभी आपने संविधान संशोधन के लिए कहा? डिपार्टमेंट आफ परसोनल ने कभी इस बारे में बात नहीं उठाई। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप को ईमानदारी से जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और गरीबी में से कोई भी दूसरे धर्म में चला गया है उनसे मोहब्बत है! मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे लिए देश सबसे बड़ा है और उसके बाद पार्टी लेकिन समाज पार्टी से भी बड़ा है। मैं अपने राष्ट्र को प्राथमिकता देता हूं। नम्बर पर समाज को प्राथमिकता देता हूं। पार्टी बाद में आती है। मैं आप की तरह स्लेव नहीं हूं जो पार्टी के गलत सिद्धांतों से भी बंधा हुआ है। आप को यह बात कहने की हिम्मत नहीं होती। अगर आप गरीबों से मोहब्बत करते है.....

श्री हेच-हनुमनतप्पा: पार्टी का मामला इसमें कहां आ जाता है?

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं बता रहा हूं।

श्री हेच-हनुमनतप्पा: आपने यू०पी० की गवर्नमेंट चलाई तो 18 से 25 क्या किया आपने? आपको करना चाहिए था। पार्टी इसमें कहां आ गई।

श्री संघ प्रिय गौतम: इस देश में अनुसूचित जाति के लोग भिखारी नहीं है। वे बड़े स्वाभिमानी आदमी है। मेहनत करके खाते है दस मंजिले मकान खड़े करते है, सड़कें बनाते हैं, देश की सेवा करते है, देश का निर्माण करते है। देश के साथ विद्रोह नहीं करते। विदेशियों को कभी नहीं आने देते। मैं इसलिए कह रहा हूं

let there be compulsory and uniform education in the country if you are very sincere. Secondly, let the land go to the actual tiller of the soil.

हम यह चाहते यह कि जो खेत में काम करता है वह उस खेत का मालिक हो। इस देश में जो धंधा चलाता है, फेक्ट्री में काम करता है वह उसका मलिक हो। आप जो यह मांग कर हे है, आरक्षण का, उसकी क्या आवश्यकता है। हम तो

देश हित की बात कर रहे हैं । सैद्धांतिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से भले ही उनको कठिनाइयां हो लेकिन हमारे देश के संविधान में हमारी कुछ ड्यूटी भी है । यह जो आप संविधान की बात कर रहे हैं इसमें धारा 25 कहती है कि जाति और छुआ छूत को हिन्दू धर्म मानता है और इसकी परिधि में हिन्दू, सिख जैन और बौद्ध ये चार धर्म में आते हैं । इसलिए सिख और बौद्ध जो शेड्यूल्ड कास्ट से कन्वर्ट है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है । आप संविधान में संशोधन कर दीजिए तो उसमें क्रिश्चनिटी और इस्लाम भी आ जायेगा और आपकी बात उसमें जुड़ जायेगी । लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से सिख, जैन, बौद्ध धर्म में जो कन्वर्ट हो गए हैं ये सुविधाएँ उन्हीं को मिल सकती है । दूसरे धर्मों में जो चले गए है संवैधानिक दृष्टि से उनको ये सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं । धन्यवाद ।

चौ० हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अभी हमारे सदन में माननीय संघ प्रिय गौतम जी ने शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन के संबंध में बहुत सारी जजबाती बातें कहीं । उनकी सोच से मालूम पड़ता है कि वे खुद अपने किये पर पछता रहे ह । मैं इसलिए कह रहा हूं कि वे अपने दो-तीन साल के जीवन तक हमेशा उस पार्टी और समाज को कोस रहे है जिसमें वे मिल गये हैं । आज उनको उनकी वकालत करनी पड़ रही है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य का मैं सम्मान करता हूं और मैंने उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने जीवन में सदन में और सदन के बाहर कभी कोई बात नहीं कही । लेकिन आप उनके भाषण उठा कर देखें, हमेशा हमारे पर कटाक्ष करते हैं । यह बात अच्छी नहीं है । मैं उनका सम्मान करता हूं । वे अपनी बात कहें । मैं अपनी पार्टी का एक वफादार व्यक्ति हूं.....(**व्यवधान**)

चौधरी हरि सिंह : आपने हमेशा इसके लिए आन्दोलन किया, समाज के खिलाफ अन्दोलन किया है । आप हमेशा यह बात कहते रहे हैं.....(**व्यवधान**) । कांग्रेस पार्टी में दम है कांग्रेस का उद्देश्य रहा है, लक्ष्य रहा है, उसकी योजना रही है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग आगे बढ़े । उसी की वजह से आज वे बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं.....(**व्यवधान**) ।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : गौतम साहब, आप बैठिये । चौधरी हरी सिंह जी, आप कृपया बिल पर बोलिये ।

चौधरी हरि सिंह : मैंने अपना भाषण आरंभ किया तो वह रिजर्वेशन की बात से किया । वह व्यक्तिगत बात नहीं थी बल्कि वह सच्चाई है । कोई व्यक्ति निराशा में, खीज में और पछतावे में बोलता है तो यह दूसरों पर दोषारोपण करता है...(**व्यवधान**) ।

श्री संघ प्रिय गौतम : आप तो सोशलिस्ट पार्टी को छोड कर कांग्रेस में आये हैं ।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : गौतम जी, ऐसी कोई बात जिससे आपके व्यक्तित्व की क्षति होती है तो चेयर आपको पूर्ण सुरक्षा देगी । चौधरी हरी सिंह जी, आप बिल पर बोलिये ।

चौधरी हरि सिंह : ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, रिजर्वेशन पूरा नहीं किया, यह नहीं किया । मान्यवर, मैं आप को बताना चाहता हूं, सदस्य को क्या बताऊं, वे तो भूल जाते हैं, सच्चाई उन्हें याद नहीं रहती । मैं आप को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने अपने जन्म से ही अनुसूचित जातियों, दलितों, गरीबों, मजदूरों और किसानों के दर्द को समझा है । कांग्रेस का जो निर्माण करने वाले थे वे लोग इंटेलिजेंशिया के, मिडिल क्लास के, लोग थे जो विदेशों में पढ़े हुए थे । वे जमींदार लोग थे । जिन लोगों

ने कांग्रेस का निर्माण किया वे गरीब लोग नहीं थे, वे किसान नहीं थे, मजदूर नहीं थे। वे बड़े घरानों के लोग थे। उन्होंने अपने पुराने घरों को छोड़ कर गरीबों को अपने दिल से लगाया। यह कांग्रेस की देन है। कांग्रेस अपने को शेड्यूल्ड कास्ट्स के दरवाजे तक ले गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के उत्थान के लिए कांग्रस ने जो काम किया है, जो प्रोग्राम बनाये हैं, व किस से छिपे हुए नहीं है। आज भी जब शेड्यूल्ड कास्ट्स के उत्थान की बात आती है, उनके रिजर्वेशन की बात आती है तो श्री सीताराम केसरी जी शेड्यूल्ड कास्ट्स के उत्थान के लिए, उनके रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए, उसको लागू करने के लिए आगे आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने अपंगों, अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया है। यह कांग्रेस का दम है। हमारे दिल में पिछड़े लोगों के लिए दर्द है। ये लोग तो फर्जी आंसू बहाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके कितने कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, जो इन लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। मैं जानता हूं, जो सदन के अन्दर चीखते हैं, उनकी पार्टी के नेता लोग हरिजनों, दलितों से झिझकते हैं, उन्हें शर्म आती है। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उनके नेता लोग गरीबों के घरों में या शेड्यूल्ड कास्ट्स के घरों में चाय नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री नारायणसामी जी जो बिल लाये हैं उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सैकड़ों जातियां हैं और उनमें असमानता रही है, इक्वेलिटी नहीं है। हमारे समाज में बहुत हद तक मानवता को धिक्कारा गया है। इसके लिए हमारे देश में स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द और महात्मा गांधी और बहुत सारे समाज सुधारक आये। जिन्होंने समाज को बनाने में और समता दिलाने में, एक्विलिटी दिलाने में बड़ा कार्य किया। इसके लिये मैं स्वामी दयानन्द जी का नाम लेता हूं। वह ऐसे सामाजिक सुधारक और क्रांतिकारी विचाराधारा के थे कि उनकी टक्कर का आज कोई हो नहीं सकता उस पीरियड के अंदर उन्होंने कहा कि विधवा विवाह होना चाहिए। कितना आधुनिक आइडिया था। उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा, अनुसूचित जातियों को बराबरी पर लाने के बारे में कहा। इससे पहले इतनी जोरदारी के साथ आंदोलन के रूप में किसी धार्मिक नेता ने ऐसा आंदोलन नहीं किया। आर्यसामाज ने, जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग थे उनको जनेऊ पहनाया, उनको पंडित भी बनाया, ज्ञान द्वारा, पढ़ा-लिखाकर के उनको विद्वान बनाया, उनसे अध्ययन संस्कृत का करवाया और उनको जीवन-चर्या को बदलकर उनको नई दिशा दी। ऐसे सुधारक जो हुए हैं उनको हम भूल नहीं सकते। मान्यवर, जैसा मैंने कहा हमारे देश के ये भाई जो दरिद्र थे, दलित थे, जो गरीब थे, अनुसूचित जाति के लोग थे वे क्रिश्चियन क्यों हुए? ईसाई क्यों हुए? वह ईसाई इसलिए हुए क्योंकि यहां समाज में उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता था। उनके ऊपर जुल्म होते थे। असामनता का दर्द, अन-एक्विलिटी का दर्द उनको दिल में ऐसा था कि उन्होंने इस बात को अच्छा समझा कि क्रिश्चियन हो जायें। इस मुल्क के अंदर ईसाइयत जो फैली, मैं कहना चाहता हूं कि वह सेवा के जरिए फैली। ईसाइयों ने गरीबों की झोंपड़ी में जाकर, पहाड़ों पर जाकर काम किया। उनकी बड़ी सुन्दर सुन्दर मेमें, क्रिश्चियन पादरी दूर इंग्लैंड से आते थे और उन गरीब के झोपड़ों के आगे वे अपना कोठी, बंगला बनाकर रहते थे, उनके बीच में रहते थे। अगर उन गरीबों के बच्चों की आंखें दुखती थीं तो उनको दवा देते थे, उनका इलाज करते थे, उनको पढ़ाते थे। क्रिश्चिनैटी जो हिन्दुस्तान के अंदर फैली है, खासतौर पर वेस्टर्न इंडिया में वह सेवा के जरिए फैली। मुझे गोवा जाने का मौका मिला। जब मैं लोकसभा का मेंबर था तो पीने के पानी के बारे में बनी एक कमेटी में वहां गया। वहां के आदिवासियों की हम लोगों ने उनकी समस्याओं को जानने के सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई। महोदय, वहां पर सब आदिवासी लीडर बैठे थे, नेता, लड़के-लड़कियां, बच्चे, बुजुर्ग, सब

लोग बैठे हुए थे। कमेटी के मेंबर और चेयरमैन साहब भी बैठे हुए थे। लेकिन कहते हैं कि एक साहब का इंतजार किया जा रहा है। पूछा कि वह कौन साहब हैं। कहते हैं मदर है और जब तक मदर नहीं आयेंगी यह प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। तो यह मदर कौन थी? यह मदर वहां 18 साल की उम्र में इंगलैंड से आई थी और इन आदिवासियों के घने जंगलों में जहां न बिजली थी, न ठीक से पीने के पानी का इंतजाम था, वहां रहीं। उन्होंने उन आदिवासियों को अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ाई, उनका इलाज किया और वह मदर हो गयी और उनके बिना आदिवासी अपना कोई काम शुरू नहीं करते। मैं कहता हूं कि इस्लाम के अन्दर, क्रिश्चिनिटी के अन्दर प्रैक्टिकल रूप में, अमली रूप में समानता है। दरिद्रता दूसरी चीज है। इसाई बनने के बाद उनको शिक्षा प्राप्त हुई और वे आगे बढ़े। लेकिन आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया इस मुल्क के अन्दर, जब अंग्रेज देश छोड़कर चले गये– उससे पहले सेम धर्म होने के कारण उनको सहानुभूति मिलती थी और मदद मिलती थी – लेकिन एक पीरियड ऐसा आया, 1947 के बाद जब इन ईसाइयों को कोई रोजगार देने वाला नहीं रहा। उनका आर्थिक ढांचा टूट गया, आर्थिक ढांचा बिगड़ गया। समाज में आर्थिक तौर पर उनकी दुर्गति हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनकी बस्तियों में मुझे जाने का मौका मिला, आर्थिक तौर से अगर देखें तो सारे ईसाई लोग बड़े गरीब और कमजोर हैं। शैडयूल कास्ट के जो दरिद्र भाई हैं उनको रिजर्वेशन के सहारे रोजगार मिल भी जाता है लेकिन इनको कोई रोजगार नहीं मिलता। इसीलिये सारे देश के अन्दर उनकी जवान लड़कियां नर्स, सिस्टर बनकर फैली हुई हैं। दूर-दराज के इलाकों में अपने घर को छोड़कर वे काम करती हैं, नौकरी करती हैं। न वहां की भाषा जानती हैं न एरिया जानती हैं। जो इसाई हैं उनके सामने आर्थिक कठिनाईयां हैं। उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। आज उनके सामने यह जो कठिनाई है वह किसी दलित वर्ग के व्यक्ति से कम नहीं है। तो यह समाज में जो पिछड़ा हुआ समुदाय है, इनको भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिये। मैं एक बात कहूंगा तो लोग नाराज हो जायेंगे। न्यू-बुद्धिस्ट को आपने रिजर्वेशन दिया। भगवान बुद्ध ने तो ईसाई से पहले और स्वामी दयानन्द से पहले भेदभाव हटाने के लिये दरवाजे खोले थे। उन्होंने तो बिल्कुल महिलाओं के लिये, पुरुषों के लिये समानता दी। महात्मा बुद्ध ने तो समानता का जो उपदेश दिया है, उससे पहले तो कोई दे नहीं पाया। न्यू बुद्धिस्ट जो हो गये लेकिन उनके साथ अनटचेबिलिटी फिर भी बनी रही। उनको रिजर्वेशन आपने दिया है, देना चाहिये, बहुत मुनासिब बात है। मैं तो इसके लिये वकालत करता रहा और आज भी करता हूं। धर्म बदल जाने से क्या होता है? हिन्दुस्तान का जो सामाजिक ढांचा है, जो तानाबाना है, उसमें धर्म के बदल जाने से आर्थिक स्थिति में फर्क नहीं आता है। जैसे अभी स्वामी जो कह रहे थे कि वह डेनियल मुदलियार कहलाता है। कुछ भी बन जाएं लोग कहते वही हैं। यही नहीं आज जब कोई बड़े से बड़ा अफसर किसी जिले में जाता है तो उसकी कौम वाले पहले पहुंच जाते हैं। पंडित जी आ रहे हैं, शैडयूल्ड कास्ट आ रहा है, चौधरी आ रहा है, ठाकुर साहब आ रहे हैं, उसकी कौम वाले लोग पहले उसके पास पहुंच जाते हैं। देश का ढांचा ऐसा बना हुआ है। धर्म परिवर्तन करने से आर्थिक ढांचा, समाजिक परिवर्तन और भाईचारे का वातावरण मिल जाना चाहिये लेकिन वह नहीं मिलता है। यह इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। इसके लिये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत मजबूती से समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाया और देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। हिन्दुस्तान के कल्चर में यह बात रही है। हमारे कल्चर में समानता और भाई चारा प्रमुख सुण रहे हैं। आप जानते हैं

हिन्दुस्तान में तो सांप को भी पूजते हैं। यह हमारे देश का कल्चर है जहां मानवता के लिये बड़ा आदर रहा है। अगर इन सारी परम्पराओं को सही मायने से देखा जाय तो हमारी कांग्रेस पार्टी इसी कल्चर का एक पार्ट है। आज अगर कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा कर देखें तो आप यह देखेंगे कि आरम्भ से इसकी नर्सरी थी आर्य समाज और आर्य समाज का यह उद्देश्य था कि अगर आपको किसी गांव में जाना है तो सबसे पहले हरिजन, शैडयूल्ड कास्ट के घर पर आप खाना खायेंगे। वह खाना खायेंगे तो नेचुरल वे में अपने आप उसके घर बन रहा है। यह नहीं है कि आप खीर बनवा कर खायें या आलू टमाटर बनवा कर खायें, जो आपके घर में बना हुआ है, जो तैयार है, वही खाना खायें चाहे कोई आर्यसमाजी हो, पंडित हो, ठाकुर हो या जमींदार हो। यह आर्यसमाज की जो नर्सरी थी वह हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उसकी बहुत बड़ी देन रही है में जानता हूं, उन दिनों में हमने अपने घर में देखा है कि किस कदर आंदोलन करने वाले कांग्रेसियों ने हमारे समाज के निर्माण में काम किया है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको कांग्रेस ने एकता का मार्ग और फिलास्फी दी है। उसकी प्रेक्टीकल तौर पर अब तक अपनाते आये हैं। यह किसी भी पोलिटिकल पार्टी के लिये बड़ा मुश्किल है। यह सब जीवन में, रीयल लाइफ में धारना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैंने जो बात कही, वह शायद किसी को यदि बुरी भी लगी हो लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी को कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता, उनको पार्टी के नेता को यह नहीं कह सकता कि यह हिम्मत से कह नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग जहां जहां अपनी जिम्मेदारी होती है वह हम अनुशासन के साथ सही बात कहते हैं। हमारे साथी जो अनुसूचित जाति के नुमाइंदे भी हैं वह सब उनको वेलफेयर की बातें, रिजर्वेशन की बातें बड़ पैमाने पर कहते हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी के सारे लोग उनको स्वीकार करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आज ईसाइयों के सामने सब से बड़ा सवाल है कि उनको बड़ा रोजगार नहीं मिल पाता है। आप 1947 के पहले के वक्त में देखें और उसके बाद भी देखें। उनका जो सर्विस पाने का परसेंटेज है, वह बर बर घटना चला जा रहा है। अब तो दूर दूर चले जाइये कोई ईसाई या क्रिश्चियन अफसर दिखाई नहीं पड़ता है। हिन्दुतान एक गुलाब के गुलदस्ते की तरह है। इसलिए हमारी सर्विसेज़ ब्राडबेस्ड होनी चाहिए। हमारी जो सर्विसेज़ हैं इनमें किसी एक कम्युनिटी की मोनोपली नहीं होनी चाहिए, किसी भाषा, बिरादरी या समाज के किसी विशेष हिस्से की मोनोपली नहीं होनी चाहिए। यह ब्राड-बेस्ड हो जिसके अन्दर सब वर्गों के लिए होने चाहिए चाहे ईसाई हों, सिख हों, पारसी हो, हिन्दु हों, मुसलमान हों।

ब्राड-बेस्ड सर्विसेज़ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के जो वर्ग सर्विसेज़ में किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं उनको आगे लाने के लिए, उनकी दरिद्रता और सामाजिक कंडीशंस का देखने के लिए, उनकी प्रोब्लम्स को समझते हुए अगर आवश्यक समझा जाता है रिजर्वेशन देना तो रिजर्वेशन अवश्य देना चाहिए। मैं इस राय का हूं। आज नौकरियों में किसकी मोनोपली है या मैरिट ही मैरिट जो कहते हैं, इस मैरिट की बात में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैरिट की बात तो यह है कि श्रीमन कि किसी का एक पैर बांध दो तीन साल पहले और एक जो दौड़ रहा हो घोड़े की रफ्तार से, दोनों को कहिए कि आप दौड़िये और कहिए कि मैरिट में आइये। यह नहीं हो सकता है। समाज के तौर पर समाज के कुछ लोगों का पैर बंधा हुआ है। दूसरों के पास राकेट की रफ्तार है। फिर आप कहते हैं कि कमीशन ने यह कहा है कि यह इम्पासिबुल है। सारी कंडीशंस जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक यह मैरिट का मामला तय नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सर्विसेज के अंदर मोनोपोली आ गई है। कुछ फमिलीज के लोग सब के सब सर्विसेज के अंदर आ गये हैं।

इसलिए जैसा मैंने कहा कि हमारी सर्विसेज ब्राड-बस पर होनी चाहिए। ईसाई बंधु सर्विसेज में नहीं आ पा रहे हैं उनका रिजरवेशन ...(व्यवधान)...उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। ठीक नहीं है कि आग बढ़ा लें एक बार। तो मैं इस बात को ज्यादा तफसील में आगे नहीं जाना चाहता हूं। श्री नारायणसामी जी ने यह अपना बिल लाकर हमारा ध्यान आर्षित किया है कि इस वर्ग को मैन स्ट्रीम में बनाए रखने के लिए और हमारी सर्विसेज ब्राड-बस बनी रहें इसलिए यह रिजरवेशन इनको देना चाहिए। मैं तो इनकी वकालत करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं आपका बड़ा शुक्र गुजार हूं। धन्यवाद

श्री मति कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नारायणसामी जो ने सदन के सामने शिड्यूल्ड कास्ट्स के जैसे नियो क्रिश्चियन्स को भी आरक्षण देने के लिए विधयक रखा है।

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 1991.

उसमें उन्होंने संशोधन करके एक प्राविजो जोड़ने को कहा है जिसमें यह कहा गया है कि क्रिश्चियनिटी से जो आए हैं उनके बच्चे, उनकी पत्नी सबको वही बेनोफिट्स मिलें जो नियो बुद्धिस्ट को भी मिलेंग जो शिड्यूल्ड कास्ट्स से आये हैं।

मैं सुन रही थी कि मेरे दो पूर्वतन वक्ता जिस तरह से बात कर रहे थे। महोदय, आप हमारे देश में या किसी भी देश में धर्मांतरण क्यों होता है? धर्मांतरण का कारण क्या होता है? हम केवल यह बता दें कि हां हमारे देश में दो करोड़ क्रिश्चियन्स हैं और उनमें लगभग 16 मिलियन यानी एक करोड़ साठ लाख दलित क्रिश्चियन्स हैं और उनके लिए हमको आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिय तो केवल इतना कहने से काफी नहीं होगा। हम भारत के रहने वाले हैं। हमारे देश में भी बार-बार सामाजिक सुधार करने की कोशिश हुई है। इस देश में अनेकों समाज सुधारक पैदा हुए हैं। इन नियमों बुद्धिस्तों के बारे में कहा गया है। तो भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध ने भी हिन्दू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया था क्योंकि हिन्दू धर्म एक पुराना धर्म है और इसमें बहुत बुराइयां आ गयीं थीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान महावीर आये, उन्होंने भी कुछ सुधार करने की कोशिश की। गुरु नानक आय, उन्होंन भी सुधार करने की कोशिश की और उसके बाद जब रेनेसां पीरियड आया, तो उसमें विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दया नन्द सरस्वती, विवेकानन्द ऐसे-ऐसे व्यक्ति समाज सुधारक हुए और राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी को भी आप उसी कड़ी में जोड़ सकते हैं, जिन्होंन शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को "हरिजन" कहा शिड्यूल्ड कास्ट क्या पहले तो उनको अछूत कहा जाता था, जिनके छून से सवर्ण हिन्दू अपवित्र हो जाते थे यह स्थिति अगर आप देखें तो दूसरे देशों में जहां क्रिश्चियनिटी है नारायणसामी को इस बात की जानकारी होगी कि जहां क्रिश्चियनिटी है, वहां भी रोमन कैथोलिज्म में जब बुराइयां आ गयीं तो पेपसि के कारण उसमें सुधार करने के लिए प्रोटस्टेंट धर्म का जन्म हुआ। प्रोटस्टेंट धर्म की मीटिंग लूथर ने अगुवाई की और वे मारे गये। तो जब कभी बुराइयां आती हैं, तो उसमें स्वत: अन्तर्विरोध पैदा होते हैं और उसके सुधार की प्रक्रिया जारी हो जाती है और आज भी यह प्रक्रिया जारी है। लेकिन मैं यह मानती हू कि यह सारी प्रक्रिया, इसका मूल कारण है, आर्थिक असमानता। समाज में जब तक आर्थिक असमानता रहेगी, तब तक यह बुराइयां चालू रहेंगी, तब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता रहेगा। एक धनी वर्ग द्वारा दूसरे गरीब वग का शोषण हेमशा ही होता रहेगा।

तो समाज, हम जिसकी कल्पना करते हैं, हमारे राष्ट्रपिता, गांधी जी ने जिस समाज की कल्पना की थी, इगैलिटरियन सोसाइटी की, लोकतांत्रिक देश में सब का बराबर अधिकार होगा।

[श्रीमति कमला सिन्हा]

यह हमारी कल्पना थी । वह कहते थे, राम-राज्य होगा । यह बी.जे.पी. के लोगों का राम-राज्य नहीं--उनका राम-राज्य अलग था, उनकी कल्पना अलग थी कि राम-राज्य ऐसा होगा कि जिसमें समाज के सब से नीचे तबके में रहने वाला व्यक्ति भी सुखी होगा, सम्पन्न होगा, समाज के हर स्तर में वह ऊपर उठ सकेगा । उनकी कल्पना थी, अन्तयोदय-- UP to the last और यही कल्पना लेकर वे चले गये।

इस कल्पना को साकार करने की जिम्मदारी जिनके हाथ में है, उन्होंने अभी तक इस काम को नहीं किया । व नहीं कर पाये, क्योंकि आज समाज की सारी दौलत वेस्टेड इंट्रेस्टेड वर्ग के हाथ में सीमित हो गई है, और यही कारण है कि क्रिश्चियैनिटी में भी दलित क्रिश्चियन हो गया । जिसको ईसा मसीह ने कहा, "हम सब बराबर हैं, हम सब भाई हैं, हम सब एक जैसे हैं" वहां भी असमानता ।

मुझे हैरानी हो रही थी, मैं जब कोई डाक्युमेंट पढ़ रही थी--इसमें दलित क्रिश्चियन के लोगों का, उनका जो उप-प्रधान है, मि. एस. जोसेफ, उनका एक बयान है । वे दलित क्रिश्चियन समिति के वाईस-प्रेजीडेंट हैं ।

"Our condition is worse than that of Muslim Dalits. They can at least pray alongside their so-called upper-caste brethren. We cannot even do that. Earlier, we had to sit in seprate queues. Now, they actually have separate churches for us."

भगवान का मंदिर भी गरीब के लिए अलग है, शोषितों के लिए अलग है । भगवान शायद यह नहीं चाहते । भगवान उसमें है कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। ईशा महीह की रूह उसमें जाएगी कि नहीं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन अलग-अलग तो बना ही देते हैं लोग, और इसके पीछे सारा पैसा का खेल है ।

"Ppper-caste Christians and Dalit Christians exist on two sides of the same road."

यह एक-दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते, दलित औरतों को और भी हेय दृष्टि से देखते हैं ।

महोदय, दक्षिण भारत में यह स्थिति है, तो बहुत ही दुखद बात है ।

मैं बिहार प्रांत से आती हुं । हमारे बिहार में छोटा नागपुर के अचल में बहुतेरे लोग कनवटड हुए हैं, जो आदिवासी बाहुल्य इलाके के लोग थ ।, व कनवर्टेड हुए हैं । उत्तर बिहार में चम्पारन जिले में बहुत बड़ा क्रिश्चियन समुदाय है, लेकिन वहां हमने कोई नाबराबरी नहीं देखी । शायद हमारे नजरिया में कुछ फर्क है । शायद समाजवादी होने के कारण हमारे नजरिये में छोटे - बड़े का भेद मिट जाता है शायद यह कारण होगा, लेकिन वहां हमने गांवों में भी जाकर देखा, इस तरह की नाबराबरी नहीं देखी। छोटा नागपुर में क्रिश्चियन है--वह वहां के आदिवासी समुदाय का, उनको जो कुछ अधिकार होता है, वह उनको प्राप्त है। लेकिन दक्षिण भारत के दलित क्रिश्चियन समुदाय को अगर यह अधिकार प्राप्त नहीं है, तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए ।

अब यह आरक्षण के जरिए संभव होगा, या कोई विशेष कार्यक्रम बना कर इसको करना होगा यह सोचना ने की बात है।

हमारे पूर्वतन वक्ता, गौतम जी ने कहा कि फ्री एण्ड कपल्सरी एजुकेशन अगर हो जाए, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट तक, मैट्रिकुलेशन तक, तो सच के लिए पढने-लिखने का

रास्ता खुल जाएगा – मैं इसको मानती हूं । और मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगी कि केवल इतना ही नहीं, उसके साथ-साथ और भी कुछ करना–वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी होगी, सम्मान देना होगा । राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक को सम्मान देना होगा कि तुम भी हमारे जैसे नागरिक हो, अन्यथा जो आगे है, वह पीछे वाला एक दिन उनको ले डूबेगा । यह कहना भूल होगा कि हमारे पास धन-दौलत है, शिक्षा है, जीवन के सब साधन उपलब्ध हैं, इसलिए हम आगे बढ सकते हैं । पीछ वाले पीछे ही रहें, यह सभव नहीं है । किसी भी समाज में असमानता बहुत दिन नहीं चल सकती । हमारे सामने सोवियत रूस की मिसाल है । जो कम्युनिज्म पर आधारित होकर विशाल राष्ट्र बना था और वहां भी असमानता आ गई थी । एक तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी के ऊचे तबके के लोग थ, पार्टी के एक्टीविस्ट थ, व एक कटेगरी के हो गए थे । उसके बारे में मिलोवन जिलास ने कहा था :

A new class had been created.

नतीजा क्या हुआ ? द ग्रेडर प्रिविलेज, द बैकवड, द डाउन ट्रोडन आफ दैट सोसाइटी, उनके भूख के कारण, उनके परेशानी के कारण और आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने के कारण वह देश टूट गया । हमारे सामने उसकी मिसाल है ।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए । अगर क्रिश्चियन दलित को लाने की बात होती है तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि हरिजन-आदिवासियों को तो आरक्षण है लेकिन कितने लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया गया है ? 45 साल की आजादी की बात कही जाती है, आरक्षण की बात कही जाती है । जगजीवन बाबू इस देश के उप प्रधानमंत्री भी हुए थे । एक दफा उनके साथ अपने दल के कार्यक्रम में मुझे जाना पड़ा था । मैं उनकी सभाओं की अध्यक्षता कर रही थी तो उनसे चर्चा हो रही थी । उसमें उन्होंने कहा कि यह आरक्षण से तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे लोग पढ-लिख जाने के बाद भी उनको कोई काम नहीं मिल रहा है । अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद खुले में वे कंपीट कर पाते । अब तो बहुत परेशानी की बात है । यह बात उन्होंने अंतिम दिनों में, मृत्यु के कुछ साल पहले, जब जनता पार्टी की सरकार थी तब कही थी । महोदय, परेशानी की बात तो है, लेकिन मैं आपके सामने कहना चाहती हूं कि हमारे प्रांत में जनता दल की सरकार है । हमारे प्रांत के मुख्य मंत्री ने एक कार्यक्रम अपनाया है, बिहार के प्रत्यक जिले के 50 हरिजन, पिछड़े, दलितों के गांवों का विकास करने का । खुद जाते हैं उनके बच्चों को, साथ वे केश काटने वालों को भी ले जाते हैं, साफ करके नहाने वालों को भी ले जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चों के केश कटवाकर, नहलवाकर, कपडे ठीक पहनवा कर कहते हैं कि स्कूल में पढ़ो, पढ़ाई करो ।

[उपसभापध्यक्ष (श्री वी० नारायणसामी) पीठासीन हुए]

उनके मां-बाप से कहते हैं जो पढ़ाओगे नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी । उनके रहने के लिए घर बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं । जिस गांव में कभी कोई जाता नहीं था, डोम, मुसहर, पिछडे, दलित, शोषित, हरिजन जिनके वहां कोई जाता नहीं था, डोम क्योंकि वह मुर्दा जलाता है, कोई उस इलाके में जाता नहीं था, हमारे मुख्य मंत्री रोज, नित्य प्रतिदिन काफी लंम्बा समय उनके साथ गुजराते हैं । उनके बीच में जाकर उनके सुख-दुख का निदान करने की कोशिश करते हैं । क्योंकि वह एक संवेदनशील व्यक्ति हैं । जब तक हमारी सरकार में, यहां केंद्रीय सरकार में संवेदन-शील व्यक्ति नहीं होगा, संवेदनशीलता नहीं होगी, तब तक हमारे देश की जो परेशानियां हैं वे दूर नहीं हो सकती । हम आरक्षण दे सकते हैं । यह तो प्राइवेट मैम्बर्स बिल है, इसको रिजैक्ट किया जाएगा । श्री नारायणसामी, मैं जानती हूं कि इसको वह वापस ले लेंगे और कहेंगे कि सरकार इसको मान ले और सरकार कहेगी कि हम इस के ऊपर विचार करेंगे । तो यह वापस ले लेंगे, मैं इसको जानती

है, लेकिन एक चर्चा का विषय हो गया । यह सही है कि दो करोड़ क्रिश्चियन लोगों का, दलितों का और एक करोड़ 60 लाख दलित क्रिश्चियन की, यह इस देश में समस्या है । यह हमारे सामने उजागर हुई ।

महोदय, इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है । हमारे केरल की और दक्षिण प्रांतों की जो क्रिश्चियन बहनें हैं वे विदेश में काम करने जाती हैं । हमारे देश का लेबर ला उसके ऊपर लागू नहीं होता और जिस देश में, गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाती हैं वहां कोई लेबर लां उनको कवर नहीं करता और उनके ऊपर फिजिकल टोर्चर होता है, फिजिकल एब्यूजज होता है, सक्सयुल एब्यूजेज होता है । ये कहीं जा नहीं सकती, अपने लिए न्याय मांग नहीं सकती, लाचार हो जाती हैं । इसके बारे में भी सोचना होगा । यह जो थोड़ी-बहुत पढ़ी-लिखी बहनें हैं, वहां मेड सर्वेंट वगैरा का काम करने के लिए जाती हैं, उनके साथ भी अत्याचार होता है । केवल गल्फ कंट्रीज में ही नहीं महोदय, अभी मैं हांगकांग गई थी वहां एशियन डामिस्टिक हैल्पर्स युनियन का एक बड़ा भारी जुलूस निकला था । करीब सवा लाख उसके मैंबर्स हैं । मुझे कहा गया कि आप एड्रस कीजिए । मैं वहां गयी. उसमें लगभग 40 हजार, दक्षिण भारत में केरल के, तमिलनाडु के थे और आधे से ज्यादा उसमें क्रिश्चियन औरतें थीं । मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो एक साल की गारंटी लेकर कांट्रेक्ट पर आती हैं, लेकिन अगर मालिक हमें 6 महीने के बाद निकाल देता है तो दो सप्ताह के भीतर हमें वापिस जाना होगा अगर अन्यत्र काम नहीं मिला तो ।

They have no job guarantee whatsoever.

उनमें कम उम्र की 18, 20 और 22 साल की लड़कियां भी थीं । मैंने बहुत देर तक उनसे बात की और एक-एक लड़की ने जो कहानी सुनायी वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी । तो क्या कर रही है हमारी सरकार? उनमें फिलिपीन्स और थाईलैण्ड की लड़कियां थीं । उनकी कहानी तो जाने दीजिए, लेकिन हमारे हिन्दुस्तान की जो लड़कियां हैं, जोकि अलग-अलग देशों में जाकर काम करती हैं, उनमें अधिकांश क्रिश्चियन लड़कियां साउथ इंडिया की होती हैं । तो क्या कर रही है हमारी सरकार ? कौनसी गारंटी उनको दे रही है ? उनकी सेफ्टी का कौन सा इंतजाम हो रहा है ? मैंने इंडियन हाई कमीशन के लोगों को बोला तो उन्होंने बताया कि यह हमारे पर्व्यू में नहीं आता ।

We can't do anything. It does not come under their purview.

हमारे एक्स्टर्नल अफेयर्स के पर्व्यू में यह नहीं है क्योंकि वह जांच कांट्रेक्ट पर विदेश जाते हैं, लेकिन वह सरकार के पर्व्यू में तो होना चाहिये न क्योंकि वह विदेशी मुद्रा भेजते हैं हमारे देश में ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें इन बातों के बारे में विचार करना चाहिए और मैं चाहूंगी कि सरकार इन बातों पर भी विचार करे। मैं जानती हूं कि यह विधेयक रिजेक्ट होने वाला है। नारायणसामी जी, जोकि इसके मूवर हैं, वह इसे वापिस लेने वाले हैं लेकिन इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : उपाध्यक्ष महोदय इस सदन के सदस्य नाडुायणसामी जी ने संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1991 के तहत दलित ईसाइयों को आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार सुविधा मिले इस संबंध में यह गैर-सरकारी बिल प्रस्तुत किया है । महोदय, मानवीय आधार पर यदि हम देखें, तो यह एक अच्छा बिल है। आज मानवता की रक्षा के लिए संसार के सारे देश मानवीय आधार को दृष्टिगत रखकर गरीबों और दलितों को विशेष महत्व देते हैं ।

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN (Andhra Pradesh): Sir, I am on a point of order. Sir, you are the mover of the Bill and you are in the Chair.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): He can occupy the Chair. No problem.

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: Whatever it may be, I don't think ...(*Interruptions*)...

SHRI K. V. THANGKA BALU: There is no such bar.

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: I am not asking you. I am asking the Chair. If there is no bar, we have no problem.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I think there is no bar under the rules.

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: Sir, I want your ruling. It is my duty to bring it to your knowledge.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I verified that fact. I think at the time of voting alone I should not be there.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): यह प्रश्न तो तब उठेगा जब इस पर वोटिंग होगी।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान: कोई भी बैठ सकता है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, no; I verified the fact. At the time of voting alone I should not be there. That is all.

श्री सुरेश पचौरी: वह चेयर पर बैठ कर वक्ता को प्रभावित थोड़े ही कर रहे है।

SHRI JOHN. F. FERNANDES (Goa): The Vice-Chairman should vacate the Chair when there is voting.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Yes; that I have already told. At the time of voting I should not be there.

श्री मूलचन्द मीणा: महोदय, भारत के निर्माण के साथ धार्मिक आधार का विशेष महत्व रहा है। 4 P.M. हमारे यहां जो हिंदू समाज था वह वर्ण-व्यवस्था पर आधारित था, जिसके कारण जातियों, ऊंच-नीच के भेद भाव ने हिन्दु समाज का विभाजन किया हुआ था। उसी का ही परिणाम यह हुआ कि भारत पर आक्रमण करके या भारत में बिजनेस का बहाना बनाकर कई विदेशी, दूसरे धर्मों के लोग यहां आए, शासन किया और अपने धर्म के सिद्धांतों की अच्छी-अच्छी बातें करके हमारे लोगों का, जो सामाजिक वर्ण-व्यवस्था से दुःखी थे ऐसे लोगों को, अपने धर्म के प्रति प्रभावित किया और उनको धर्म परिवर्तन कराया। हिन्दू समाज में सुधार के लिए भी हमारे यहां कई ऐसे विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने कोशिश की हिन्दु समाज को सुधारने की। उनमें जैसे महावीर स्वामी का नाम ले सकते हैं गौतम बुद्ध का नाम भी ले सकते हैं, विवेकानन्द का नाम भी ले सकते हैं, गुरू नानक जी का नाम भी ले सकते हैं, महात्मा गांधी जी का नाम भी ले सकते हैं दयानन्द सरस्वती जी का नाम भी ले सकते हैं या फिर स्वामी रामतीर्थ जी का नाम भी ले सकते हैं। ऐसे कई समाज सुधारकों ने समाज के अंदर जो बुराइयां थीं, जिन्होंने समाज में मानव को वर्ण व्यवस्था से बांध रखा था उसको दूर करने के लिए काफी प्रयास किए ताकि हिन्दु समाज एक ऐसा समाज बन जाए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। आजादी के बाद इस देश के दलित लोग जो गरीब थे, उनको आर्थिक समान देने के लिए उनको सामाजिक बराबर का दर्जा देने के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि देश के अंदर जो सबसे पिछड़ा और गरीब वर्ग है वह समानता के आधार पर आगे बढ़ सके।

महोदय, नारायणसामी जी जो यह बिल लाए हैं उससे लगता है कि समाज के दुखी वर्ग के प्रति वह जागरूक हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इस

देश में इस्लाम धर्म के मानने वाले शासन में आए तो जो हमारे समाज में गरीब और दलित वर्ग था, जो छुआछूत के भय से डरा हुआ था, जिसको कुंए से पानी नहीं भरने दिया जाता था, गांव के अंदर नाई जो बाल काटता है उसको बालों की कटिंग नहीं करने दी जाती थी, उसे अछूत की भावना से देखा जाता था यह लोग अच्छे, नए कपड़े नहीं पहन सकते थे, घोड़े पर चढ़कर इनको नहीं जाने दिया जाता था ऐसे लोगों ने जो हिन्दु समाज के मठाधीश थे उनसे तंग आकर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, कईयों ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। इस तरह दूसरा धर्म ग्रहण करने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति जो थी, वह ठीक नहीं हुई। धर्म परिवर्तन कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया या क्रिश्चियन बन गए तो आपको आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। ऐसा कोई जादू तो नहीं है। ऐसी स्थिति इस देश के लोगों के साथ हुई है और जैसा नारायणसामी जी ने कहा, यह क्रिश्चियन वही दलित लोग हैं, जिन्होंने हिन्दु जाति से दुखी होकर धर्म परिवर्तन किया ईसाई बन गए थे। जब एक तरफ हम मानवता की बात करते हैं, मानवीय आधार को मानते हैं तो मेरा यह मानना है कि ऐसे लोगों को जो सुविधायें सरकार की तरफ से दूसरे धर्म के अंदर चाहे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हों चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग हों, उनको दी जा रही है तो वही सुविधायें पिछड़े हुए ईसाईयों को भी मिलनी चाहिए। इसमें किसी सदस्य को भी एतराज नहीं होना चाहिए। जैसी व्यवस्था इस देश के अंदर देखी गई, अभी गौतम जी यहां पर कह रहे थे, बात सही थी। गौतम जी ने यह बात कही थी कि जितनी भी आज आरक्षण की व्यवस्था शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को है, यह कोटा पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि आज समाज में ऐसा वातावरण बन गया है कि आरक्षण, आज तो आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी करने लग गए हैं, शुरू-शुरू में तो यह विरोध करते थे, लेकिन आज ऊपर से बात करते हैं, अंदर से कुछ करे या न करें, ऊपर से कहते हैं और जनता दल ने बड़ा ढोल पीटा डेढ़ साल में, किया कुछ नहीं। एक उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हू कि डा० अम्बेडकर की मूर्ति संसद भवन के बाहर लगी हुई है, उन्होंने डा० अम्बेडकर का एक फोटो सेंट्रल हाल में लगा दिया, उसका प्रचार बहुत जोर-जोर से किया जनता दल ने। उसका कोई महत्व नहीं जिसको सब देखते हैं और जिसको केवल कुछ चुने हुए लोग देखते हैं जो सेंट्रल हाल में आते हैं, उसका बहुत प्रचार किया गया। केवल यह प्रचार प्रसार करते रहे और इन लोगों को देने के नाम पर दूर हो गए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। मैं राजस्थान का उदाहरण देना चाहता हू कि राजस्थान के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौतियां की गई। यहां तक कि वहां के एक एस.सी./एस.टी. के कर्मचारी के साथ ज्यादती की गई। राजस्थान के अन्दर एक श्री बी० के० मीणा, आई०ए०एस० होते थे, उनको वहां की सरकार ने जबरदस्ती सस्पैंड किया। केंद्रीय सरकार के पास उनका सस्पेंशन स्वीकृति के लिए आया और जब राष्ट्रपति जी के यहां अपील हुई तो उसमें राष्ट्रपति जी ने आदेश किया कि उसको बहाल कर दिया जाए। उसके बाद क्या होता है कि राज्य सरकार के पास आदेश जाता है और आदेश राज्य सरकार से फिर वापिस सेंट्रल गवर्नमेंट में आया और चन्द्रशेखर जी उस समय प्रधान मंत्री थे, उस आदेश को बिदड्रा करवाया। इतनी बडी ज्यादती शेड्यूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइबस के एक गवर्नमेंट के कर्मचारी के साथ की। दो-तीन दिन पहले इस सदन में यह चर्चा थी कि कांग्रेस के लोगों ने राज्यपाल को बहकाकर ट्रांसफरों के अंदर पैसा लेना शुरू किया है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो इस समय वहां का राज्यपाल है, उसने सारी अच्छी पोस्टों पर शेडयूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लगाया जिसे इनका दिल नहीं मानता है, इसलिए ये रिश्वत की बात कहते हैं। तो समाज के अंदर किसी भी वर्ग में, किसी भी धर्म में, चाहें वह हिन्दू धर्म में हो, चाहे बौद्ध

बौद्ध धर्म में हो, चाहे को भी धर्म हो, जो भी दलित हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, आज आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के अंदर यदि आपने उनको ऊंचा उठाने के लिए कार्यक्रम नहीं लिए, तो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, वे उसमें पिछड़े रह जायेंगे। जब हमारे संविधान में सबको समान रूप से सुविधायें हैं तो यदि ये इनको भी दे दी जायें तो इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मानवता के आधार पर यह विधेयक जो लाया गया है और हिन्दु समाज की, हिन्दु धर्म की जो बुराइयां हैं, उनके कारण आज वह दलित इधर से उधर गए, उसको मिटाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। जैसा कि गौतम जी ने निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा अच्छा सुझाव है कि दलित, वह किसी भी धर्म से संबंधित है उसको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। आज घरों में बैठकर जिस प्रकार से पुराने जमाने में दलितों के साथ अत्याचार किया जाता था और भी किया जाता था, यह भारत की संस्कृति की विशेषता रही है, चाहे वह इस्लामिक धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, भारत की संस्कृति का यह विशेषता है कि दूसरे की संस्कृति का प्रभाव भारत की संस्कृति पर नहीं पड़ता है बल्कि दूसरे लोगों पर भारत की संस्कृति का प्रभाव पड़ता है और यही कारण है कि आज इस्लामिक धर्म के अंदर भी भेद हैं और ईसाई धर्म में भी भेद है। तो माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो विधेयक श्री नारायणसामी जी लाए हैं जिसमें ऐसे वर्ग के लिए और ऐसे दलित जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं उनके उत्थान के लिए सरकार से जो संवैधानिक व्यवस्थायें हैं उसके अनुसार कुछ सुविधायें मांगने की बात है। इसलिए मैं नारायणसामी जी की भावनाओं का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala) Mr. Vice-Chairman, I support the objects of the Bill. The right to believe in a religion is one of our fundamental rights. Our country is a multi-religious country. We have different religions. A person who has the right to believe in a particular religion if he wants to convert to another religion, he should have the right of conversion. Conversion to a religion should not take away the benefits he enjoyed. Conversion to a particular religion should not put him in a disadvantageous position. This is the whole concept of right to religion. Because of conversion, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are put to disadvantage. They are not allowed to enjoy the benefits which is their fundamental right. Simply because of conversion to a particular religion they should not be denied the benefits they enjoyed. Many of my friends here said, "Why not make education compulsory to all?" Sir, compulsory education cannot solve the problem. The equality of unequals benefits only the mighty. This will not solve the problem. Actually, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Backward classes because of centuries of exploitation and oppression, are in a disadvantageous situation. They cannot enjoy the benefits. So they need protection. That is why our Constitution has given them this protection. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes are getting protection. Only if they are given protection, they will be in a position to enjoy their rights. Simply making declarations will not benefit them. They need protection. But I do agree that reservation alone cannot solve the problem permanently. It cannot solve their basic problem. But reservation is required because the rich and the better off sections have been exploiting and oppressing them for centuries. So they need this special protection. Only by giving them protection can we bring them into the mainstream. It is necessary. Otherwise, as I said, it cannot solve the problem. This protection is required. But it is only a temporary measure. The basic question depends on how we are going to implement the land reforms because in the last so many years, land has been used to exploit this section of the society; land has been used to oppress

this section and land has been used to put this particular section to a disadvantageous position. So, generally, land reforms is an important issue. In the last 46 years, only those States where the Leftist movement was strong were able to implement the land reforms. But, in other parts of the country, nothing has been done... (*Interruptions*)...

SHRI K. V. THANGKA BALU: It is there in the Congress-ruled States also.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: No, in the Congress-ruled States, you have put as many barriers as possible. You did not do anything. You look at the performance of these States. As you know, Sir, as per the Mahalanobis Report, in 1957, 6.3 crore acres of land were surplus land. Where were these surplus lands distributed? Twenty per cent of the land distributed so far is from West Bengal and a considerable portion of the rest is from Kerala. So, whenever the Leftist movement is strong, they have been able to implement genuine land reforms... (*Interruptions*).

SHRI M. A. BABY (Kerala): If you kindly yield, I would like to substantiate this point. There was a case where a person occupying a very important position in the Central Government was found manipulating the land reforms and the Court has ordered...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Baby, we are not discussing that subject... (*Interruptions*)

SHRI M. A. BABY: But land reforms is an important thing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, the discussion is on a Private Member's Bill.

SHRI K. V. THANGKA BALU: This point is not relevant and it is not correct also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I have told him that it was not relevant to the subject.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): It has to be removed from the record.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: I am not talking about what is happening in Andhra Pradesh... (*Interruptions*)

SHRI K. V. THANGKA BALU: Whatever you are talking about, it is not correct and you are misleading the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I have already given a ruling that it was not relevant to the subject.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: What I submit is that bringing about radical land reforms is an important issue. It would help in giving them protection, in making them equal with other sections of the people and it would also help our farmers to produce more, and only by having more and more agricultural produce, we will be in a position to strengthen rapid industrialisation. So, only by increasing our production in the agricultural sector and thereby having hapid industrialisation will be able to solve these social problems. So, the Bill which has been brought forward offers only a temporary solution. The basic solution lies in this very aspect. We should not forget this basic thing. Even the Mandal Commission went into all these details and the Mandal Commission Report has also said that it is only a temporary measure. The basic solution to this problem lies in land reforms. But many of my friends are forgetting this particular aspect and they have been raising about the reservation aspect only. This alone will not solve the problem. But, I do stand for it. Since it is only a temporary measure, we must strive to bring about genuine land reforms and make for ther contributions to the rapid industrialisation of our country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Vithalbhai M. Patel. Not present. Shri Vithalrao Madhavrao Jadhav. Not present. Shri John F. Fernandes.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Private Member's Bill moved by you. Sir, ours is a great country and this country has given birth to great religions. This country has not only given rise to a great religion but also adopted and assimilated other religions which came from abroad, from foreign countries brought in by missionaries. So, we say that our country is a secular country and secularism is enshrined in our Constitution. Secularism does not mean that a particular religion is to be favoured or we have to have bias towards other religions. Secularism does not also mean that there is no religion at all. Secularism means equal respect, equal opportunities and equal rights to members of all religions, however great a particular religion may be. That is the meaning of secularism and it is well defined in our Constitution.

We have the fundamental rights and article 25 of the Constitution is very clear—freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Clause (2) of this article says, "Nothing in this article shall affect the operation of any existing law".

Mr. Vice-Chairman, Sir, you have mentioned while moving the Bill, the Constitution and the Presidential Order, 1950 which is covered under article 341 of the Constitution. If you go through article 341 of the Constitution, it only states that when new castes are identified either by the State Governments or by the Central Government, the respective Governments will recognise these castes through a notification. This article does not empower the Government, any Government, either the State Government or the Central Government, to de-recognise the already recognised castes. I feel it is arbitrary and I don't think it will stand the test of law in courts. I also feel that it is an injustice done to a particular community on religious grounds. This defeats the very Fundamental Rights in our Constitution. It is mentioned now-a-days that we are mixing religion with politics. Of course, there are two Bills which are going to be presented in this House and we are likely to pass these Bills, But here is a case where we are mixing politics with religion. By not giving these rights to the Scheduled Caste minorities who changed their religion, I think it is highly objectionable, illegal and it is a case where politics is mixed with religion. I think the Government should be very conscious of this factor.

On 20th of this month, when Mother Teresa received the Sadbhavana Award of Rajiv Gandhi, she wrote to the Prime Minister from her sick bed. She did mention in her letter to the Prime Minister that we should shun all violence and hatred towards other religions. She did also mention about this particular lacuna in our laws. The Prime Minister read this letter and I was also there at the function.

Mrs. Sinha said that the Bills would not be allowed to be passed. But I am confident that the hon. Minister who responds always favourably, will see the Bills through. I am confident that the hon. Minister will get these Bills passed because the issue is not a controversial one. The Bills seek to delink religion from politics.

It is argued and my colleague from the BJP also stated that Christianity is a religion which does not believe in caste. He is not here, Mr. Gautam is not here. I wanted to ask him to tell me about one religion—any religion—which is free from caste system.

SHRI O. RAJAGOPAL (Madhya Pradesh) This is what hon. Minister Mrs. Alva has said.

SHRI JOHN F. FERNANDES: I am referring to my colleague in the Opposition.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE (Gujarat): This point was clarified by Mrs. Alva.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Thank you for the information. I was asking this question. I wanted to know which religion was free from caste system.

Only in the Bible it is said there is no caste. I suppose every human being is equal before the eyes of God. I do not think that it is only the Bible which preaches equality of human beings. Other scriptures also preach the same thing, that is, the Bhagawad Gita, Dhammapada and the Koran. Now, this is a humanitarian problem. We use religion as a shelter for our political mileage. But we have to see the ground realities. The Scheduled Castes, for that matter, have nothing to do with religion. It is a question of their social status, economic condition, educational background, etc. So, I feel that the Government, before they move the Bill delinking religion from politics, should see that this benefit is given to these unfortunate brethren of ours. I do not think that it is the case of the Government that in order to remove untouchability and uplift the Scheduled Castes in this country, all the people should be converted into christianity. I do not think that this is the position of the Government. It is only by implication that we have to conclude like that. If that had been the case, I think the problem of untouchability and Scheduled Castes could have been removed overnight. I hope the honourable Minister will clarify.

Sir, I am happy that you moved the Bill. You belong to a different community, different religion and you belong to the ruling party, and that itself proves, this is a non-religious and non-party issue. I hope the honourable Minister will take this very seriously and see that this Bill is passed.

Last time, when a similar Bill was moved in this House during the time of the earlier Government, an assurance was given that they were considering the case of the converted Christians. I myself moved an amendment to that Bill and an assurance was there on behalf of that Government. I think that the honourable Minister will not request for the withdrawal of this Bill, because this is a very non-controversial Bill and this should be passed now itself.

With these submissions, Sir, I hope that the honourable Minister will take a positive stand and not request for its withdrawal, but would see to it that it is passed. Thank you, Sir.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्री नारायणसामी जी ने जो यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है वह बहत ही, मेरी समझ से, विवादरहित है और 1990 में ही यह स्वीकार हो जाता यदि श्री नारायणसामी का उस समय जो संशोधन था उसको वापस न लिया होता। आज फिर मुझे आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार आश्वासन दे या न दे, लेकिन उसके पहले ही, आप इस समय इस कुर्सी पर विराजमान है, आप अपने संशोधन को वापस ले लें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आप अड़े रहें। इसको वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि 12 अगस्त, 1993 को इसी सदन में आपने अपना भाषण किया था। आप सभी को याद है, 1990 में जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी तो जो नव बौद्ध लोग थे उनको सुविधा देने के लिए एक संशोधन विधेयक लाया गया था और उस संशोधन में आपने अपना संशोधन रखा था। इसलिए मैं अपनी बात आपके ही भाषण से शुरू करना चाहता हूं।

Sir, you said, and I quote:

"When that Bill was being considered, I moved an amendment in this august House stating that the Converted Christians should be included in the SC category and that they should also be kept on par with people like the Sikhs and the Neo-Buddhists. At that movement, Shri Paswan gave an assurance on the floor of this House stating that the Government was going to bring forward an amendment relating to the Converted Christians also. Therefore, he requested me to withdraw the amendment. Keeping in view the assurance of the hon. Minister, I withdrew the amendment that was moved by me."

And, I think, prompted by your speech, Mrs. Kamla Sinha also expressed her doubts that the Government is not going to accept the Bill today and that you are sure to withdraw this Bill. Therefore, I request you not to withdraw this Bill in the interest of those people for whom you have brought this amendment.

असल में जो हिन्दु धर्म है, उसमें जो बहुत सी कुरीतियां हैं, उन कुरितियों में अस्पृश्यता और जातिवाद है। इसके चलते ही लाखों लाख लोगों को हिन्दु धर्म से दूसरे धर्मों में परिवर्तित किया गया। जैसा कि आपने अपने उद्देश्यों और कारणों में कहा, आपके आंकड़ों के हिसाब से करीब-करीब एक करोड़ लोग आज होंगे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के थे, जिन्होंने ईसाई धर्म में अपने को परिवर्तित कर दिया। लेकिन धर्म परिवर्तन होने के कारण उनको हमारे संविधान के अन्तर्गत जो आरक्षण की सुविधाएं हैं या और जो सुविधाएं इस वर्ग के लोगों को मिलती हैं, वे सुविधायें प्राप्त नहीं हुई। यह भी सही है, मैं इस बात से सहमत हूं कि केवल धर्म बदलने से न इनके सामाजिक स्तर में वृद्धि होती है और न इसमें कोई उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन या परिवर्धन होता है। आपने यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है इसमें यह होना चाहिए कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनको मिले। लेकिन इस विधेयक में, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (संशोधन) विधेयक, 1991 इसमें केवल अनुसूचित जातियों को शामिल किया गया है, अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह जो विवाद-रहित विधेयक है इसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए और जैसा कि आपने अपने भाषण में भी कहा है कि सरकार इसके बारे में कोई न कोई आश्वासन दे। लेकिन मैं आश्वासन नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसके बारे में इस सदन में घोषणा होनी चाहिए। दूसरा हमारे संविधान में इस बात की व्याख्या की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह कानून की दृष्टि से समान है और हर नागरिक को समान अधिकार है। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। हमारे मित्र संघ प्रिय गौतम अभी चर्चा कर रहे थे। क्योंकि हम लोग सोशलिस्ट पार्टी से आते हैं, जाति-तोड़ो आंदोलन में हम लोग थे, डा० लोहिया के कहने पर और जाति-प्रथा को समाप्त करने में जो बहुत से आंदोलन हुए उसमें भी हम लोग थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है जो अस्पृश्यता का मामला है, या जाति प्रथा है यह केवल हिन्दु धर्म में है। यह स्लाम धर्म में भी है। मैं संघ प्रिय गौतम जी को बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूं, मैं इन की पंगत में शामिल हुआ हूं, वहां अनुसूचित वर्ग पाशी वर्ग, जो लोग चर्मकार हैं, जो चमड़े का काम करते हैं उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाते। वे आपस में एक दूसरे को अस्पृश्य समझते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं पंगत में बैठा हूं। मैंने देखा है कि जो चर्मकार हैं, जो चमड़े का काम करता है वह पाशी जाति के साथ बैठकर समझता है कि छुआछूत का काम हो गया। तो यह सब हिन्दु धर्म की बुराइयां हैं जिनको दूर करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक ऐसे वर्गों के लोगों का अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान नहीं होता है, सामाजिक दृष्टि से उत्थान नहीं होता है, तो इन कामों को करना चाहिए लेकिन सही मायने में जो जाति प्रथा है, इसको समाप्त करना चाहिए। मान्यवर, मैं आज भी एक घटना को भूलता नहीं हूं। उत्तर प्रदेश में बनारस में एक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय है। यह सन् 1977 की घटना है, उस समय इत्तेफाक से मैं भी उत्तर प्रदेश में मंत्री था और जगजीवन बाबू उस समय केन्द्र में शायद रक्षा मंत्री थे। बनारस में डा० सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय में सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति का अनावरण होना था। डा० सम्पूर्णानन्द जी बहुत विद्वान थे और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनकी मूर्ति का अनावरण सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में होना था। उस समारोह में मैं

भी उपस्थित था। बाबू जगजीवन राम जी ने मूर्ति का अनावरण किया। जगजीवन राम जी बड़े विद्वान, राष्ट्रभक्त और बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं, बहुत कम ऐसे लोग इस देश में हैं। जब बाबू जगजीवन राम मूर्ति का अनावरण करके चले गये तो बिंदिया बाग सार्वजनिक सभा में थे, वहां पर खबर मिली कि कुछ पागल लोगों ने मैं उनको पागल ही कहूंगा, कुछ पागल छात्र थे जिनमें अध्यापक भी शामिल थे, उन लोगों ने उस मूर्ति को गंगा जल से धोने का काम किया, यह कह कर कि चूंकि इस मूर्ति का स्पर्श जगजीवन बाबू ने किया है, इसलिए यह अशुद्ध हो गई है, इसलिए इस मूर्ति को गंगा जल से धोने का काम किया जाए। तो हमारे समाज में जो यह मानस है, हमें इसको बदलना पड़ेगा। शायद इसी मानस से प्रेरित हो कर के आप यह विधेयक लाए हैं क्योंकि हम अपना जाति बदलते हैं, धर्म बदलते हैं लेकिन उसके बाद भी समाज में ऐसे लोग हैं जो उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। यह जो मानस है, इसको बदलना चाहिए। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं, वह यह है कि इसका प्रारम्भ शुरूआत से होना चाहिए। मेरी राय यह है कि इस देश में जितने भी पब्लिक स्कूल हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिए। सब बच्चों को एक समान शिक्षा इस देश में मिलनी चाहिए चाहे वह लड़का राष्ट्रपति का हो या वह साधारण नागरिक का हो। मेरी राय यह है कि यदि समान दृष्टि से शिक्षा शुरू हो तो सब घरों के बच्चे एक स्थान पर बैठेंगे तो इससे आपस में छोटे-बड़े का व्यवहार, असमानता का व्यवहार, अस्पृश्यता का व्यवहार दूर होगा। इन शब्दों के साथ मैं कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा।

Mr. Thangka Balu, I would request you to kindly accept the suggestions in this House because every Member has supported this Bill. Therefore, please announce today that your Government is going to accept this Bill and will bring forward a legislation.

श्री संघ प्रिय गौतम : मालवीय जी को वह कैसे आश्वासन दे सकते हैं वह तो जूनियर मिनिस्टर हैं। एक भी केबीनेट मिनिस्टर यहां मौजूद नहीं हैं। वहां पर केवल दो सदस्य बैठे हैं।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन में जो बिल लाया है कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (संशोधन), विधेयक, 1991 जिसमें क्लाज 2 में संविधान (अनसाचित जातियां) आदेश, 1950 के पैरा 3 में निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जाय—

"परन्तु यह कि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य, जो हिन्दू या सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म सहित किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने पर, अपनी पत्नी और बच्चों सहित वे सारी सुविधाएं प्राप्त करता रहेगा जिनके वे संपरिवर्तन से पहले हकदार थे।"

यह जो आपके लाने का मुख्य उद्देश्य है और आपने बहुत ही सही कहा है कि हाल ही में सरकार अपने आदेश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों दोनों को समाविष्ट करती, अगर करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो शैडयूल्डट्राइब्स की जो हालत है वह शैड्यूल्ड कास्टस से भीबदतर है। इसलिए जो गरीब आदमी हैं हमारे देश का उसको कैसे सुविधाएं दी जाएं यह सबसे बड़ा अहम प्रश्न हमारे सामने है।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): शिड्यूल्ड ट्राइब्स क्रिश्चिन्स को यह फैसिलिटी आलरेडी अवेलेबल है...(व्यवधान) इन्हीं को नहीं अवेलेबुल है। इसलिए डिसक्रिमिनेशन है। मैं जानता हूं इसलिए आपसे कहता हूं ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Yes, the Scheduled Tribes are enjoying it. Only for the Scheduled Caste Christians, it is not given.

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : मैं आभारी हूं। मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। तो अनुसूचित जाति के सदस्य अनुसूचित

जाति के ईसाई धर्म में समपरिवर्तित सदस्य उसी गांव या कस्बे में ही सामाजिक व्यवस्था में रहे हैं और समपरिवर्तन के आधार पर उन्हें भी उनके अधिकारों से वंचित रहने का कोई कारण नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आप लाये हैं यह बड़ी सामाजिक दृष्टि से आप लाये हैं। मगर फिर भी मेरे सामने कुछ प्रश्न खड़े हैं। जब हमारे देश में संविधान बना तो संविधान के जो मुख्य आर्चीटेक्ट थे वे हमारे डाक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, मुझे गर्व है कि वे मेरे प्रदेश के ही रहने वाले थे। हमारे भूतपूर्व नेता महाराष्ट्र के और भारत के उप-प्रधान मंत्री स्वर्गीय यशवन्तराव चव्हाण ने एक दफा नासिक में कहा था जब दादा साहब गायकवाड़ का निधन हुआ था और उनका स्टेट्यूट लगाया गया था, कि महाराष्ट्र में दो ही जातियां प्रमुख हैं, एक मराठा दूसरा हरिजन और गिरिजन। शिव शक्ति और भीम शक्ति। शिव शक्ति मतलब भगवान शिव की नहीं, सिर्फ शिवाजी महाराज की जो शक्ति समझी जाती है वह है। अगर शिव शक्ति और भीम शक्ति दोनों इकट्ठी हो जाएं तो महाराष्ट्र की दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो सकती है। उसका यह प्रभाव है कि ये सारी जो रिजरवेशन की बातें हैं---महाराष्ट्र में हमने 50 प्रतिशत रिजरवेशन पहले दे दिया है। हमने मंडल कमीशन को भी इंप्लीमेंट कर दिया है। शेष भारत में सारे जो बैकवर्ड क्लासेज, जो मगासुर की जाति है उनको अपनी है सर्विसेज में कैसे रिजरवेशन दिया जाये, यह बात है मगर महाराष्ट्र ने यह बात पहले स्वीकार कर ली थी – कब, 1962 के पहले जब यशवन्त राव चव्हाण हमारे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे।

मेरे दिल में कुछ बातें जरूर हैं। यह बात नहीं कि क्रिश्चियन लोगों में ही गरीब लोग हैं जो कन्वरटेड हैं। जो भी हरिजनों से कन्वर्ट हुए हैं वे सारे गरीब हैं, जो भी आदिवासियों से कन्वर्ट हुए हैं वे सारे गरीब हैं मगर इनके अलावा भी हमारे प्रदेश में महाराष्ट्र में और सारे देश में जो मुस्लिम भाई हैं, मुसलमान भाई हैं उनमें 95 प्रतिशत लोग गरीब हैं। उनकी अपनी खुद की जमीन नहीं होती। वे खेतों में जाकर खेत मजदूरी करते हैं या तरकारी बेचते हैं या छोटे-मोटे धंधे करते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई साईकिल की दुकान चलाता है। ऐसे काम करते हैं। सवाल यह है कि जो आदमी गरीब है, हमारे देश में जो गरीब जनता है उसको कैसे सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। यह सबसे बड़ा अहम प्रश्न हमारे सामने है।

मुझे एक बात कहने में बड़ा आनन्द है कि श्रीमती कमला सिन्हा जी का भाषण मुझे बड़ा पसंद आया जी हां। वे जो कह रही थीं वही मुख्य धारा थी देश की। देश में जो गरीब लोग हैं वे ज्यादा करके गरीब लोग मुसलमानों में हैं यह मैं दावे के साथ कहता हूं। उसके बाद हरिजनों को रिजरवेशन देने के बाद हरिजनों में कुछ उपर आये हैं। मगर उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें तो यह पता लगेगा कि इनमें भी नये ब्राहमण पैदा हो गये हैं। हरिजनों में जो आई० ए० एस० आफिसर्स हैं, जो व्यापार करते हैं, पैसे वाले हैं वे भी अपने भाइयों को अछूत मानते हैं। वे अपने पास उनको आने नहीं देते। यह परिस्थिति बहुत गम्भीर है। यह जो मानसिकता हमारे दिल में है बड़ेपन और छोटेपन की, अछूतपन और प्रतिष्ठित की, इस मानसिकता को हमें बदलना होगा।

पहले बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में यह लिखा था कि रिजरवेशन दस साल के लिए होना चाहिए मगर दस साल में उसमें कुछ काम नहीं हुआ। उसको एक्सटेंशन मिलते रहे। अभी तो मण्डल कमीशन है, कमंडल है, मन्दिर है, मस्जिद है। सब करके यह सारी लड़ाई इसमें हो रही है कि देश के अन्दर इन गरीबों को आर्थिक न्याय न मिले। ऐसी कुछ ताकतें हमारे देश में... (व्यवधान) गौर से सुनें। कुछ ऐसी ताकतें, ऐसी पार्टियां काम कर रही हैं जो नाम तो गरीबों का लेती हैं कि हम तो काम करने वाले हैं गरीबों के लिए मगर जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करती हैं। उनकी तरफ भी बहुत गम्भीरता से सोचने की जरुरत महसूस करता हूं। उपसभाध्यक्ष जी, यह बहुत जरूरी बात है। हमने मंडल कमीशन को स्वीकार किया है। पहले शेड्यूल्ड कास्टस एंड शेडयूल्ड ट्राइब्स को हमने रिजर्वेशन दे दिया है कंस्टीट्यूशन में और अगर सारी पिछड़ी जाति का

हिसाब करें, तो 80 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शड्यूल्ड ट्राइब्स सारी बैकवर्ड क्लासेज एमंगस्ट आल कम्युनिटीज—यह 80 प्रतिशत लोग हैं। और उस दृष्टि से अगर हम सोचें कि उनको नौकरी भी देनी है, फिर 80 प्रतिशत रेजर्वेशन देने का प्रयास किया, तो हम एक-दो करोड़ से ज्यादा लोगों को न्याय नहीं दे सकते।

तो यह प्रश्न आता है कि हमारे देश में जो पावर्टी लाईन के नीचे लोग हैं, वह सर्वे हमारे पास है, एपार्ट फ्राम कास्ट, क्रीड रिलीजन एंड रेस—जो भी गरीब आदमी हैं, उसको 15 प्रतिशत तो देना चाहिए नौकरियों में, व्यापार में, खेती में और अन्य सारे क्षेत्रों में और शिक्षा में भी।

यूनिफार्म एजूकेशन पालिसी की बात कही गई है। उसमें मैं बहुत सहमत हूं, लेकिन जब सवाल उठता है कि सरकार के पास कितना धन है शिक्षा की संस्थाओं को चलाने के लिए, तो 10 प्रतिशत लोगों की भी शिक्षा सरकार कर नहीं सकती। कांस्ट्रेंट्स आफ रेसोर्सेज—उनका जवाब आता है। तो समाज की जो समस्या है, समाज खुद आगे आकर जब तक उसमें हाथ नहीं बटाता, तब तक सारी समस्यायें हल नहीं होंगी।

हां, यह बात जरूरी है कि यह सब करते हुए हमें यह भी देखना है कि फिर भी जातिवाद और धर्म के नाम पर अलग विभाजन की बात न हो इस देश में, क्योंकि इस देश से हमें जातिवाद मिटाने की बात सोचनी है। सारा भारत एक है, यह हमें सोचना है।

जैसा कि किसी ने कहा कि क्रिश्चियनिटी ही एक ऐसा धर्म है, जिसमें कोई जाति नहीं है। वह अच्छी बात है। हमें तो आम क्रिश्चियन की क्या जाति होती है पता नहीं, क्योंकि हम उससे वाकिफ नहीं हैं। मगर हिंदू भी एक ऐसी जाति हुई कि जिसमें कोई जाति-पाति नहीं रहे और आर्थिक विषमता के आधार पर अगर उनको सहूलियतें देने का प्रयास किया, तो हम समझते हैं कि उसमें काफी परिवर्तन हो सकता है और यह सब से जरूरी बात है।

उपसभाध्यक्षजी, दूसरी बात जो है—मंडल कमीशन के बारे में भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने कांग्रेस में रहते हुए हमेशा मंडल कमीशन का समर्थन किया है, क्योंकि बात ऐसी है कि अगर हमें उसे न्याय देना है, तो आज जो प्रचलित व्यवस्था है हमारे देश में, यह जो जातिवाद की व्यवस्था है, उसको समाप्त करने की बात तो जारी है ही, मगर उसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि उसे आइडेंटिफाई किया जाए कि उसको कैसे न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, इसको कैसे रिजर्वेशन मिले और उस दृष्टि से जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उसका हमें पूरी तरह से पालन करना चाहिए। चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे कोई भी धर्म के नाम पर—मंडल कमीशन का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन रिजर्वेशन की बात आती है, तो अलग एक नकाब पहन कर सामने आते हैं। कोई अलग मसला सामने खड़ा करते हैं और गरीबों को आर्थिक न्याय देने की जब बात आती है, तो उससे वह बिखर जाते हैं और लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। यह बात नहीं होनी चाहिए।

हमें इन सब से ऊपर उठ कर पहले देश के बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद हमारे देश की जो गरीब जनता है, जो पापुलेशन बिलो दी पावर्टी लाईन है—अब हम इस संविधान में भी परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि गरीब और अमीर—हमारा राष्ट्रीय उत्पादन कितना है और स्टेण्डर्ड लिविंग के लिए कितना उत्पादन जरूरी है। उसके ऊपर के लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए और उसके नीचे के लोगों के लिए शिक्षा से लेकर नौकरियों और न्याय सारी बातों में रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी है। जब तक हम यह नहीं करेंगे, तब तक हम अखंड भारत या एक भारत, या राष्ट्रीयता के बारे में कितनी भी बातें करें, वह राष्ट्रीयता हमारे सामने आने वाली नहीं है।

अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है, तो सारे लोगों को एक ही चश्मे से देखना है, एक ही तरीके से देखना है, एक ही माप से मापना है, और सब को आर्थिक और सामाजिक न्याय देना बहुत जरूरी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ रेजर्वेशंज के साथ इसका समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

*SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, you have brought in a Bill that seeks to extend the benefits to the scheduled caste people who have embraced Christianity or any other religion, as available to the scheduled caste people in Hindu and Sikh folds. You have elaborated as to how necessary it is to give them the benefit of reservation. Almost all the hon'ble Members who preceded me supported this amending Bill. I too support this Bill on behalf of D.M.K.

Sir, Article 25 of the Constitution says that every person is free to profess any religion of his choice, (Forteit are of concessions on conversion from Hinduism is against the very spirit of Constitution. Constitutional experts like Marc Galanter and Justice K. K. Mathew have described such denial of benefits on grounds of religion as unjust. It is regrettable that *Dulit* Christians are refused the benefits of reservation in violation of Articles 14, 15 and 25. It is argued that people were forced to convert to other religions from Hinduism. Even if it is so, it is not their fault and they should not be victimised for that. It only shows they were meek to resist conversion. So these unfortunate people should not be denied their due.

Mr. Vice-Chairman. Sir, the hon'ble B.J.P. Member, Shri Gautam was vaxing eloquent on the differences between Hinduism and Hindu Dharma. He said that Hindu Dharma is superior and is not strictly followed by Hindu religion. Pandit Jawaharlal Nehru was right in saying not to preach Vedanta to persons stricken with hunger. In spite of embracing Christianity or Islam, the scheduled caste people continue to live with their Hindu counter patrs under the same conditions. I don't know how the philosophical observations of Shri Gautam is going to help them. Conversion took place in this country as a result of casteism. That is why revolutionary poet, Bharathiasan said long ago:

The population is thirty three crores,
The social evils just as many.

Ours is a strange nation with 4 vedas and four thousand castes. Untouchability has ruined our society over hundreds of years. Even the sight of Sudra was alleigic to the upper caste people. Casteism reached such hysteric heights that the caste Hindus went to the extent of saying that molten lead should be poured into the ears of Sudra who listens to Vedas and his tongue be chopped if he engages himself in reading. Such inhuman practices forced the scheduled caste people to convert to other religions. But unfortunately the stigma of caste followed them like shadow. Hon'ble Minister Smt. Margret Alva intervened to say sometime back that inside the Churches there is no discrimination. It might be true in some of the Churches she had seen. But the hon'ble Minister Shri Thangabbalu who has walked through the streets of Tamil Nadu would not agree with this view because there is discrimination in Churches too. In my own district of Trichy there are Churches where scheduled caste people have to sit in separate blocks. Centuries old social evils of Hinduism haunt the *dalits* even after they had embraced another religion. There was a distinguished professor of Economics in St. Joseph's College Trichy. Even Shri Thangabalu would have known him. He was a Christian and his name was Mr. Irudhaya Samy. But he was known as Irudhaya Samy Reddyar because he belonged to that upper caste. There was another friend of mine known as Lurdha Samy Pillai. He was also a Christian but Pillai by caste. This only shows how deep rooted caste is in Indian society.

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

Sir, it won't be an exaggeration to say that the evil influence of Hinduism has gone to Christianity to some extent. No one should misunderstand this assertion. Because of this fact alone Dr. Ambedkar said, "thuogh I was born as a Hindu, I would not die as one". That is why he embraced Bhuddism. We have to see whether the conversion has brought about any social change. Can a Dalit Christian fatch water from a public pond? Will a barber come forward to give him a shave? Once, Father of the Nation Mahatma Gandhi said:

> "Whether the Harijan is nominally a Christian, Muslim or Hindu and now Sikh, he is still a Harijan. He cannot change his spots inherited from Hinduism so called. He may change his garb and call himself a catholic Harijan, or a Muslim harijan or Neo-Muslim or Neo-Sikh, but his untouchability will haunt him during his lifetime."

I don't know exactly what BJP friends think of Gandhiji. But this what he wrote in Harijan on 26.12.1936. It is cruel that even after death this discrimination continues. The scheduled caste people are buried in separate cemeteries. It is an insult to mankind inself. It is a fact we halve to accept.

I am a born D.M.K. man and follow the path shown by Thanthai Periyar, Peraringnar Anna and Dr. Kalaingnar. So, I know how they all fought to remove this stigma of caste. We, in DMK condemn any such discrimination in any religion. An hon'ble Member of BJP said why not tell those professing Christaianity and Islam to put an end to this sort of discrimination. He can pose this question only after cleansing Hinduism because it is the root cause of all social evils.

Sir, this sort of discrimination on the bsais of caste and colour is not peculiar India. It is argued that there is no discrimination in Christianity. But what happens in the United States? The blacks are treated by the whites in a manner far worse than the kind of treatment meted out to SCs in India. White women can sing and dance. If a black woman, a Negress does it, she earns the wrath of the society. In South Africa, the plight of the blacks is still worse. They have been fighting for their rights from the time of Zalasar. Yet, apartheid has not been abolished in South Africa. India has raised its voice against it. Even we have passed Resolution in this House supporting the cause of the blacks. But it is the tragedy of time that we refuse to treat our *Dalit Christians* on par with their counterparts in Hindu fold.

[The Vice Chairman (Syed Sibtey Razi) *in the Chair*]

Mr. Vice Chairman, Sir, I wish to refer to a unique Government Order issued by the Tamilnadu Government in 1983. It was issued by Mr. M. G. Ramachandran who was heading the AIADMK Government at that time. The order said:

> "Scheduled caste converts who came back to Hinduism shall lose their job if they go back to Christianity or other religion after availing the benefit of reservation".

Our D.M.K. party opposed this G.O. right at that time. There can't be a more cruel G.O. in a secular State. I want to highlight the dangerous undertones of such Order. I feel, by saying that the benefits of reservation shall be given to those who come back to Hindu fold, the Government is enticing people to embrace Hinduism. Again when it says that those who convert to other religion shall forfeit their right to reservation the Government itself strikes at the root of secularism. I challenge the Government to disprove my charge! Even after knowing well that the SCs do not get any better deal at the hands of society after changing their religion, I wonder why the Government is reluctant to accept this Bill. The socio-economic status of SCs do not change a little. They live in utter misery just as their brethren in Hindu fold. Therefore, it is time the Government realised its responsibility towards this hapless people.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Now it is 5 o'clock. You will keep continuing in the next session.

Now, we take up another business — Statutory Resolution disapproving of the Oil and Natural Gas Commission (Transfer of Undertaking and Repeal) Ordinance, 1993 and the Oil and Natural Gas Commission (Transfer of Undertaking and Repeal) Bill, 1993. The discussion on the Statutory Resolution was continuing. So, we continue with it. Shri Chimanbhai Mehta.

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I was permitted by the Chair to refer to the issue of implementation of schemes on reservations for backward castes in Government service, soon after the Question Hour today. For a variety of reasons I could not refer to it. Will you kindly permit us to raise it, because today is the last day?

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहब, ह लोगों ने पहले भी बात की है। मैंने सुबह ही इजाजत चेयरमेन साहब से ले ली थी। ...(व्यवधान)... इजाजत मुझे चेयरमेन साहब दे चुके है।

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh): Why don't you take up the 'zero hour' and the Special Mentions first?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Zero hour is a zero hour. That hour has passed. So, we cannot take up the business the timing for which has already expired.

Now, I have taken up the business according to the scheduled agenda and I have identified Mr. Mehta. This is a very important piece of legislation.

†[ ] *Transliteration in Arabic Script.*

SHRI P. UPENDRA: Sir, we can first take up the zero hour.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): If we take up the zero hour business, it would not be possible to continue. So, I request the hon. Members to cooperate and help us to dispose of this legislative business.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat): Sir, a point which concerns the privilege of the House, I was permitted to raise, but the House was adjourned. (*Interruptions*). It is a question of the privilege of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): That is true. I agreen with you. I am not permitting you. (*Interruptions*). Without the permission of the Chair please do not take the floor.

Mr. Mehta, please continue.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE OIL AND NATURAL GAS COMMISSION (TRANSFER OF UNDERTAKING AND REPEAL) ORDINANCE, 1993.

II. THE OIL AND NATURAL GAS COMMISSION (TRANSFER OF UNDERTAKING AND REPEAL) BILL, 1993

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Yesterday I posed a question as to what is the need for transferring this undertaking into a company. What would be the benefits out of it? I was requesting the hon. Minister to give some idea as to why he was going in for company conversion. The ONGC has been making profits for the last several years. It has been making profit to the tune of around Rs. 2,000 crores every year. In 1989-90 its profit was around Rs. 2,900 crores. Now, I find, not in this Bill, that its liabilities come to around Rs. 9,000 crores. If you are earning for so many years roughly around Rs. 2,300 crores, what is the reason for this liability? Why did you not repay? If you have not repaid and taken more loans, what is your asset?